Con. 3. 5.9.47
750

अंक 5
संख्या 9

बृहस्पतिवार
28 अगस्त,
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	सदस्यों द्वारा प्रतिज्ञा ग्रहण	1
2.	अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर रिपोर्ट	1
3.	महात्मा गांधी के चित्र की भेंट और उसका उद्घाटन	57
4.	परिशिष्ट	62

भारतीय विधान-परिषद्

बृहस्पतिवार, 28 अगस्त सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक, कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 10 बजे माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

सदस्यों द्वारा प्रतिज्ञा ग्रहण

निम्नलिखित सदस्यों ने प्रतिज्ञा ग्रहण की:

प्रो. एन.जी. रंगा (मद्रास: जनरल)

श्री के. कामराज नादर, एम. एल. ए. (मद्रास: जनरल)।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर रिपोर्ट

***श्री बी. दास** (उड़ीसा: जनरल): श्रीमान्, एक वैधानिक प्रश्न है। कल सभा ने श्री के.एम. मुन्शी द्वारा उपस्थित खण्ड 1 (क) को स्वीकार किया, जिसमें परिगणित जातियों को हिन्दू सम्प्रदाय का अंग कहा गया है। इस खण्ड पर मैंने एक संशोधन रखा था।

***अध्यक्ष:** मिस्टर दास, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अन्तिम रूप से विधान नहीं तैयार कर रहे हैं। अगर कोई बात ऐसी हो जो ठीक-ठीक नहीं कही गयी है, तो मस्विदा बनाने वाले उसे ठीक कर देंगे। इस सम्बन्ध में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह तो केवल पारिभाषिक बात है।

***श्री बी. दास:** 15 अगस्त के परिशिष्ट 1 का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। यह एडाप्टेशन ऐक्ट [दी इण्डिया (प्रोविजनल कान्स्टीट्यूशन) आर्डर 1947] में निकाल दिया गया है।

***अध्यक्ष:** अगर यह नहीं भी हो, तो मैं समझता हूं कि मस्विदा बनाने वाला समझ लेगा कि इसका क्या मतलब है।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

***श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय** (ग्वालियर): श्रीमान्, बंगाल के सदस्य यह महसूस करते हैं कि अगर पश्चिमी बंगाल में अल्पसंख्यकों को अतिरिक्त स्थान के लिये चुनाव में खड़े होने का अधिकार दिया जाता है तो इससे वहां आदेश का उल्लंघन होगा और सारा अनुपात विशृंखल हो जायेगा। मेरा अनुरोध है कि हम इसे स्थगित रखें और इस पर हम बाद में विचार करें।

***मौलाना हसरत मोहानी** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय जब कांग्रेस हाई कमान के लोग और अल्पसंख्यकों के सदस्य ''अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट'' की चर्चा करते हैं तो अल्पसंख्यकों से सदा वे केवल मुसलमानों का ही बोध क्यों करते हैं? मैं मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानने से इन्कार करता हूं। अब तो आप कहते हैं कि साम्प्रदायिकता को आपने खत्म कर दिया है। क्या हम केवल मुसलमानों के लिये ही अल्पसंख्यक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं?

***अध्यक्ष:** मुझे खेद है कि माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं मैं उसे नहीं समझ पाता हूं।

***मौलाना हसरत मोहानी:** अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट सम्बन्धी वाद-विवाद में मैंने जानबूझकर कोई हिस्सा नहीं लिया। मेरा विचार यह था कि...

***सेठ गोविन्द दास** (मध्य प्रान्त और बरार: जनरल): क्या मैं यह जान सकता हूं श्रीमान्, कि हम किस विषय पर विचार कर रहे हैं?

***अध्यक्ष:** हम किसी विषय पर इस समय विचार नहीं कर रहे हैं। मैं समझता था कि मौलाना साहब कोई वैधानिक आपत्ति उठा रहे हैं। माननीय सदस्य को पहले बता देना चाहिये कि वे किस सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं और फिर यदि आवश्यकता हो तो उस पर बोलना चाहिये।

***मौलाना हसरत मोहानी:** श्रीमान्, इस माइनारिटी रिपोर्ट के सम्बन्ध में मेरी एक सैद्धान्तिक आपत्ति है। आप जब भी अल्पसंख्यकों की चर्चा करते हैं, स्थान सुरक्षित रखने का जिक्र करते हैं तो उससे आप केवल मुसलमानों को ही लेते हैं। आखिर यह क्यों?

***अध्यक्षः** मुझे खेद है कि मैं मौलाना साहब को बिना प्रसंग नहीं बोलने दे सकता, क्योंकि इस समय ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर हम विचार कर रहे हों।

***मौलाना हसरत मोहानीः** हम यह कहते हैं कि जब हम अल्पसंख्यकों का जिक्र करते हैं तो केवल मुसलमानों को ही क्यों धर्म की दृष्टि से अल्पसंख्यक कहते हैं? अगर राजनैतिक स्तर के आधार पर ही पार्टियों का संगठन होगा, तो मुसलमान यह नहीं चाहते कि उनको अल्पसंख्यक कहा जाए।

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य एक ऐसे मसले पर विचार व्यक्त कर रहे हैं जिस पर विचार हो चुका है और स्वीकृत भी हो चुका है।

***मौलाना हसरत मोहानीः** यही बात है जो मैं कहना चाहता था।

***अध्यक्षः** कल हम परिशिष्ट के खण्ड 4 पर विचार कर रहे थे और अब हम संशोधनों पर विचार प्रारम्भ करेंगे।

***श्री देवीप्रसाद खेतान** (पश्चिमी बंगालः जनरल): श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन है जो सूची में 44वां है। यह संशोधन रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 से सम्बन्ध रखता है और यही पैरा परिशिष्ट के खण्ड 4 में भी है। यदि समुचित समय पर इसे उपस्थित करने की मुझे अनुमति दी जाये तो बड़ी कृपा हो। यदि आप यह चाहते हो कि मैं इसे अभी पेश करूं तो मैं उसे अभी उपस्थित करने के लिये तैयार हूं।

***अध्यक्षः** हां, आप उसे पेश कर सकते हैं।

***श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरी** (आसामः जनरल): श्रीमान्, कार्यावली के अनुसार हमें पहले मूल अधिकारों पर विचार करना चाहिये और तब किसी अन्य विषय को विचार के लिये उठाना चाहिये।

***अध्यक्षः** हम इस पर पहले विचार कर रहे हैं।

***श्री देवीप्रसाद खेतानः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''पैराग्राफ 4 के सम्बन्ध में यह सभा सिफारिश करती है कि पश्चिमी बंगाल की विशिष्ट परिस्थिति के कारण कोई भी अल्पसंख्यक सम्प्रदाय, जिसे सुरक्षित स्थान प्राप्त है, वह

[श्री देवीप्रसाद खेतान]

असुरक्षित जगहों के लिये उम्मीदवार नहीं हो सकता। मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं; जिनसे पता चलता है कि वहां परिगणित जातियों की तथा मुसलमानों की सम्मिलित आबादी वहां की कुल आबादी की आधी होती है। बर्दवान और प्रेसीडेन्सी डिवीजन तथा जलपाईगुड़ी और नदिया के जिलों के जो आंकड़े मैंने इकट्ठे किये हैं उसमें अगर मुर्शिदाबाद, नदिया और दिनाजपुर जिलों के, जो अब पश्चिमी बंगाल में आ गये हैं, आंकड़े जोड़ दिये जायें तो इससे परिगणित जातियों और मुसलमानों की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम हो जायेगी। इसलिये अगर उन सम्प्रदायों को जिनके लिये जगहें सुरक्षित रख दी गयी हैं, शेष जगहों के लिये भी चुनाव लड़ने का हक दे दिया जाता है, तो यह उचित और न्याययुक्त न होगा। यह स्मरण रहना चाहिये कि परिगणित जातियों के अतिरिक्त वहां की आम आबादी...

***श्री एच.जे. खाण्डेकर** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान्, एक नियम सम्बन्धी प्रश्न है। कल हमने इस आशय का एक खण्ड स्वीकार किया है कि परिगणित जातियां हिन्दू सम्प्रदाय के ही अंग हैं और वे अल्पसंख्यक नहीं हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रस्तुत संशोधन तथा संशोधनकर्ता महोदय की वक्तृता, जिसमें आप परिगणित जातियों को अल्पसंख्यक कह रहे हैं, नियम के विरुद्ध है।

***श्री देवीप्रसाद खेतान:** श्रीमान्, मेरा कहना यह है कि मैं सम्प्रदायों का या एक सम्प्रदाय के वर्गों का जिक्र कर रहा हूं जिनके लिये स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। चाहे आप उनको अल्पसंख्यक कहिये या हिन्दू सम्प्रदाय का अंग, इससे वस्तुस्थिति में कोई अन्तर नहीं आता। मैं परिगणित जातियों का जब जिक्र करता हूं तो उन्हें अल्पसंख्यक मानकर नहीं, बल्कि हिन्दू समाज का अंग मानकर करता हूं, जिसके लिये स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि मैं नियम के बाहर नहीं बोल रहा हूं।

स्थिति यह है कि पूरी जनसंख्या को देखते हुये परिगणित जातियों और मुसलमानों की संख्या करीब आधी या कुछ ज्यादा होती है। अब मुझे यह कहना है कि परिगणित जातियों और मुसलमानों के लिये स्थान सुरक्षित रख देने के बाद आम आबादी के लोग यह चाहेंगे कि कुछ स्थान ईसाइयों को और बोद्धों को, जिनकी संख्या बंगाल में काफी बड़ी है, दिये जायें। वे यह भी चाहेंगे कि कुछ स्थान अन्य सम्प्रदायों को भी दिये जायें। वस्तुत: उचित और न्यायसंगत यह है कि उनको कुछ स्थान मिलने ही चाहियें क्योंकि परिगणित जातियों तथा मुसलमानों के लिये

तो पहले से ही स्थान सुरक्षित रख दिये गये हैं। मेरा कहना है कि इस मामले पर हमें और विचार करना चाहिये। इसीलिये मैं यह संशोधन रखता हूं और मुझे विश्वास है कि मिस्टर मुन्शी यह सिफारिश करेंगे कि जैसे पूर्वी पंजाब के मसले को और विचार के लिये अभी स्थगित रखा गया है, उसी तरह मौजूदा हालत में पश्चिमी बंगाल का यह मसला भी पुनर्विचारार्थ स्थगित रखा जाये। मैं इस सुझाव को स्वीकार करूंगा।

(श्री मोहनलाल सक्सेना और प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना ने अपने संशोधन उपस्थित नहीं किये।)

***अध्यक्ष:** केवल यही एकमात्र संशोधन रखा गया है, इसलिये इस मसले पर अब हम विचार कर सकते हैं।

***श्री के.एम. मुन्शी** (बम्बई: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र मिस्टर खेतान का संशोधन तो केवल यह व्यक्त करने के विचार से रखा गया है कि पश्चिमी बंगाल के मसले पर नये सिरे से विचार करना चाहिये। और मैं समझता हूं कि रिपोर्ट पेश करने वाले माननीय सदस्य इसे स्वीकार करने जा रहे हैं, पर केवल इसी स्वरूप में। इसका कारण यह है कि प्रस्ताव-कर्ता के सामने इस सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल के जो आंकड़े पेश किये गये थे वे सही नहीं थे। अगर आंकड़े ही गलत हैं तो इस पर बाद में विचार करना जरूरी है। गलत आंकड़ों के आधार पर हम क्यों निर्णय की जल्दीबाजी करें? इसलिये यह ठीक जान पड़ता है कि पश्चिमी बंगाल के प्रश्न पर बाद में विचार किया जाये, जब कि ठीक-ठीक आंकड़े इकट्ठे कर लिये जायें। इस संशोधन का यही मुख्य उद्देश्य है। संशोधन के द्वारा यह कोशिश नहीं की गयी है कि जहां तक समस्त भारत का सम्बन्ध है, खण्ड 4 के स्वरूप में कोई परिवर्तन किया जाये। इसके द्वारा यही प्रयास किया गया है कि जैसे पूर्वी पंजाब के मसले पर फिर विचार करना तय हुआ है, उसी तरह पश्चिमी बंगाल के मामले पर भी बाद में नये सिरे से विचार किया जाये।

***पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी रखा गया है उसके सम्बन्ध में मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं। मैं इस सभा को और खास करके परिगणित जातियों के तथा अन्य अल्पसंख्यक जातियों से सम्बन्ध रखने वाले मित्रों को बताना चाहता हूं कि इस संशोधन का अभिप्राय यह

[पं. लक्ष्मीकांत मैत्र]

नहीं है कि अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने में जो उद्देश्य सन्निहित है उसको व्यर्थ कर दिया जाये। पर सभा को साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब की स्थिति आज शेष भारत से बिल्कुल भिन्न है। यह स्थिति-भिन्नता देश के विभाजन के कारण और विशेष करके रैडक्लिफ कमीशन के फैसले के फलस्वरूप, जो कई अंशों में सांस्कृतिक आधार पर नहीं किया गया है, उत्पन्न हुई है। बंगाल के अधिकतर सदस्य इस स्थिति में नहीं हैं कि इस समय और यहां समझ सकें कि आखिर हुआ क्या और पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या अब क्या है और उसमें कौन लोग हैं। अगर हम रैडक्लिफ-निर्णय में जो कुछ कहा गया है और यहां जो कहा गया है, इन दोनों का मिलान करें तो हमें आंकड़ों के सम्बन्ध में उनमें बड़ी भिन्नता दिखाई देगी। यह बात ठीक-ठीक कोई नहीं जानता कि रैडक्लिफ-निर्णय के अनुसार पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या क्या है। इसलिये बजाय इसके कि यहां और अभी जल्दी में हम कोई निर्णय करें, हमें फिलहाल रुक जाना चाहिये, ताकि इन दो नवनिर्मित प्रान्तों—पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब— के सिलसिलेवार आंकड़े मिल जायें तो हम ठीक तरह से उनके सम्बन्ध में निर्णय कर सकें। पूर्वी पंजाब के सम्बन्ध में तो सभा ने इस सुझाव को मंजूर कर लिया है। अब हमारा यह कहना है कि पश्चिमी बंगाल के मसले पर भी कुछ दिनों बाद जब हमें सभी आवश्यक आंकड़े प्राप्त हो जायें तो विचार किया जाये और सभा इससे सहमत होगी। मैं सभा से कह सकता हूं कि रैडक्लिफ-निर्णय इतना असंगत और इतना स्वेच्छापूर्ण है कि कइयों के घरबार तो हिन्दुस्तान में पड़ गये हैं और उनकी जोत की जमीन पड़ी है पाकिस्तान में। इसलिये अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि यह समझ सकें कि जब हम पाकिस्तान या हिन्दुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें ठीक-ठीक किन-किन जगहों को हम शामिल करते हैं। हम यह नहीं जानते कि कौन हिस्सा पाकिस्तान में पड़ा है और कौन हिन्दुस्तान में और उनकी आबादी कितनी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये हम इस निर्णय पर आते हैं ताकि सभी सम्बन्धित दलों के साथ न्याय हो सके, पश्चिमी बंगाल का मसला अभी स्थगित रखना चाहिये। प्रस्तुत प्रस्ताव में सिर्फ इसी बात की मांग की गयी है। जो सिद्धान्त हमने स्वीकार कर लिये हैं उनसे हटने का कोई ख्याल नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, इस नाजुक सवाल पर मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहता जिससे कोई मतभेद

खड़ा हो। इस प्रश्न के कुछ पहलुओं की ओर मैं सिर्फ सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य, जिन्होंने रिपोर्ट उपस्थित की है, उन पर कृपया विचार करेंगे। पर सभा का जो भी निर्णय होगा उसे निष्ठा और प्रसन्नता से स्वीकार किया जायेगा।

श्रीमान्, इस संशोधन का असर यह होगा कि पश्चिमी बंगाल के कुछ अल्पसंख्यक–परिगणित जातियों को छोड़कर जिन्हें अब एक पृथक वर्ग ही माना गया है– यह अनुभव करेंगे कि आम जगहों यानी असुरक्षित स्थानों के लिये चुनाव लड़ने की उन्हें न सुविधा रह गयी और न अधिकार ही। जहां तक मैं समझता हूं, आम जगहों के लिये अल्पसंख्यकों को खड़े होने के जिस अधिकार की यहां बात चल रही है, उसकी तह में वास्तविक उद्देश्य यही है कि उन्हें इस बात की स्वतः प्रेरणा प्राप्त हो कि वे सुरक्षित जगहों की जो रियायत उन्हें मिली है उसे वे यथाशीघ्र छोड़ दें। वस्तुतः अगर उनके लिये जगहें सुरक्षित न हों तो स्थिति यह हो सकती है कि कई क्षेत्रों में उन्हें अधिक स्थान मिल जायें, किन्तु बहुमत के लोग अगर उनको सहयोग दें तो। इस तरह यह अल्पसंख्यकों को इस बात का प्रोत्साहन देने के लिये है कि विशेषाधिकार की मांग छोड़ दें। वस्तुतः पश्चिमी बंगाल में हिन्दुओं का प्रबल बहुमत होने के कारण आम जगहों के लिये अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से सदस्य चुनने की इस व्यवस्था से उन्हें सुविधा मिल जाती है। ऐसी व्यवस्था होने पर भी वह उनकी मरजी पर निर्भर करती है। इस संशोधन से एक असुविधाजनक स्थिति ही दूर होती है। मैं मानता हूं कि यह अच्छा होगा कि मूल पैराग्राफ को ज्यों का त्यों रखा जाये, बजाय इसके कि यह संशोधन स्वीकार किया जाये। पर माननीय सरदार पटेल से अनुरोध करने के लिये कि वे इस मसले पर विचार करें, मैं केवल इस संशोधन के सम्बन्ध में ही यह कह रहा हूं।

जैसा कि मैंने अभी कहा है अल्पसंख्यक–परिगणित जातियां–अब से बिल्कुल ही एक भिन्न वर्ग हैं। एकमात्र अल्पसंख्यक सम्प्रदाय जो रह जाता है और जिस पर इस संशोधन का प्रभाव पड़ेगा, वह है मुस्लिम सम्प्रदाय। सो अगर हिन्दू प्रसन्नता से किसी मुसलमान को अतिरिक्त स्थान के लिये चुनेंगे तो यह उनकी इच्छा की बात है। अगर वे समझते हैं कि किसी खास मुसलमान को राष्ट्रीयता के कारण या उसकी योग्यता के कारण या अन्य कारण से चुनना चाहिये, तो यह उनकी इच्छा की बात है। यदि वे यह समझें कि अतिरिक्त स्थान पर एक और मुसलमान न चुना जाये तो यह तो सदा ही उनके वश की ही बात है। पर मैं समझता

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

हूं कि निर्वाचकों के अधिकार को अछूता रहने देना चाहिये और प्रतिबन्ध मूलक कोई कानून न रखना चाहिये। यह बात नहीं है कि एक या दो स्थान पाने या खोने के विचार से मैं यह कह रहा हूं बल्कि उच्च नीति के विचार से मैं यह कह रहा हूं। एक या दो स्थानों को पालने का कोई महत्व नहीं है पर असली महत्व इसमें यह है कि इससे अल्पसंख्यकों को अनुकूल मनोवैज्ञानिक प्रेरणा प्राप्त होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर सुदूर भविष्य की राजनीति को दृष्टि में रखकर खूब सावधानी से विचार करना परमावश्यक है।

***श्री उपेन्द्रनाथ वर्मन** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): श्रीमान्, मेरा यह इरादा नहीं था कि इस प्रस्ताव का विरोध करूं, पर मुझे सभा के समक्ष खड़ा इसलिये होना पड़ा है कि प्रस्तावकर्ता महोदय ने अपने भाषण के सिलसिले में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनमें यह संकेत दिया है कि रैडक्लिफ-निर्णय के फलस्वरूप बंगाल का विभाजन हो जाने पर पश्चिमी बंगाल में परिगणित जातियों की और मुसलमानों की सम्मिलित जनसंख्या करीब-करीब 50 प्रतिशत है। इसी आधार पर आप इस मसले को अभी स्थगित रखना चाहते हैं और इसके लिये एक समिति नियुक्त करने का सुझाव देते हैं। मेरा कहना यह है कि यह कथन परिगणित जातियों के सम्बन्ध में एक ऐसा आक्षेप है जिसे हम इतने दिनों से बिल्कुल निर्मूल कर देने की कोशिश कर रहे हैं। परिगणित जातियों ने विधान निर्माण में सच्चे दिल से भाग लिया है और कांग्रेस सदस्य की हैसियत से न कि किसी अन्य संस्था के सदस्य होने के नाते, क्योंकि हम जानते हैं कि पराधीनता काल में हमारी जो भी कमियां रहीं हों, उस दुर्भाग्य काल में हमने जो भी दोष या पाप अपना लिये हों, पर हममें और बंगाल के बारे में तो खास करके कहूंगा कि ऐसे महापुरुष—विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर—पैदा हुये हैं जिन्होंने हममें यह विश्वास भर दिया है कि भारत का पुनरुत्थान सुनिश्चित है। अब इस विधान-परिषद् में तथा इसकी अन्य समितियों में भाग लेते समय मेरा यह विश्वास दृढ़ है कि इस आवश्यकता के समय भारत की प्रतिभा ने इसको छोड़ नहीं दिया है। बहुसंख्यक सम्प्रदाय की सूक्ष्म बुद्धि पर हमें पूरा विश्वास है।

श्रीमान्, कांग्रेस ने यह स्वतंत्रता उन लोगों की सहायता से प्राप्त की है जो बड़ी ही दूरदर्शी, बहुत ही बुद्धिमान थे, जो शरीर और आत्मा दोनों से ही सुदृढ़ थे। हमें इसका पूर्ण विश्वास है कि शासन की बागडोर सम्भालने पर उनकी तटस्थता स्थिर रहेगी। हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि भारत को जागृत करने में,

उसको समुन्नत बनाने में, जिससे वह विश्व के राष्ट्रों में समुचित स्थान पा सकें वे अपने कर्तव्य का समुचित पालन करेंगे। परन्तु ऐसे समय में दुर्भाग्यवश बंगाल से आये हुये हमारे एक मित्र ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे हम लोगों को दुख होता है। इसलिये मेरा यह कर्तव्य हो गया है और दुखद कर्तव्य कि उनको यह याद दिला दूं कि विश्वास प्राप्त करने का यह रास्ता नहीं है। श्रीमान्, आखिर इस प्रस्ताव द्वारा हम क्या कर रहे हैं? मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं है कि इस मामले को अभी स्थगित रखा जाये और बाद को पश्चिमी बंगाल की सारी स्थिति पर विचार किया जाये। मुझे इस बात में सन्देह नहीं है कि यह सभा, जिस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी का भार है, उसी निर्णय पर आयेगी जिसे हम मंजूर करने जा रहे हैं और शायद माइनारिटी कमेटी के फैसले के आधार पर मंजूर करने जा रहे हैं। पर फिर भी पश्चिमी बंगाल से आये हुये कुछ मित्र यह सोचते हैं कि उनके निर्णय पर पुनर्विचार होना चाहिये; मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक क्षण के लिये भी किसी अतिरिक्त स्थान के लिये नहीं चिन्ता करता क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो सुरक्षित जगहें हैं उनके लिये भी हमें बहुसंख्यकों के यानी सवर्ण हिन्दुओं के वोट पर ही निर्भर करना पड़ेगा। हमारे श्रद्धेय नेताओं ने हमसे बार-बार यह कहा है कि हमारे सम्प्रदाय पर जो यह काला धब्बा है, परिगणित जाति के नाम से एक वर्ग विशेष को पुकारा जाता है, उसे अवश्य मिटा देना चाहिये और समस्त देशवासियों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना चाहिये। मैं इस विचार का पूर्णतः समर्थन करता हूं। पर मेरा कहना यह है कि इस अन्तर्काल में जब तक कि यह भेदभाव नहीं मिटता, परिगणित जातियों को बहुसंख्यक सम्प्रदाय पर निर्भर रहना होगा। इसलिये सुरक्षित स्थानों के अलावा अगर अतिरिक्त स्थान के लिये कोई परिगणित जाति का सदस्य या मुसलमान चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे बहुसंख्यक सम्प्रदाय के विश्वास और सहानुभूति पर भरोसा करना ही पड़ेगा। इसलिये जहां तक मेरे निजी दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, मैं इसकी चिन्ता नहीं करता कि अतिरिक्त स्थानों के लिये खड़े होने का अधिकार परिगणित जातियों को मिलता है या नहीं। परन्तु जब आप किसी एक सिद्धान्त को समस्त भारत के लिये लागू करते हैं, तो सिद्धान्ततः क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह गौरवशालिनी सभा बंगाल या अन्य किसी प्रान्त के सम्बन्ध में कोई अपवाद रखेगी। मैं ऐसा नहीं समझता। फिर भी यह मामला स्थगित रखा जाये या नहीं, इसका निर्णय मैं सभा पर छोड़ता हूं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल** (बम्बईः जनरल): श्रीमान्, खंड 4 को लेकर केवल एक ही संशोधन है। अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रख दी गयी हैं और उनको आम जगहों के लिये भी चुनाव लड़ने का अधिकार होगा।

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

श्री खेतान के संशोधन में, जिसका समर्थन श्री मुन्शी ने किया है, यह कहा गया है कि पूर्वी पंजाब की तरह पश्चिमी बंगाल का प्रश्न भी अभी स्थगित रखा जाये। परिगणित जाति वालों को या अन्य किसी को इसके सम्बन्ध में सन्देह हो, इसका कोई कारण नहीं है। जब पूर्वी पंजाब के प्रश्न पर विचार किया जायेगा तो पश्चिमी बंगाल के प्रश्न पर भी छानबीन की जायेगी। ऐसी कोई भी बात न होगी जो उनके पीठ पीछे की जायेगी और बिना उनकी स्वीकृति या जानकारी के कोई भी अधिकार उनसे छीना नहीं जायेगा। अभी भी यह देखना बाकी है कि जनसंख्या और उसके अनुपात का इस सम्बन्ध में क्या असर होगा। इसलिये जब हमने सूची तैयार की है तथा चुनाव और मताधिकार के सम्बन्ध में हमने उसे स्वीकार किया है तो हमने उसे जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया है। जहां तक कि किसी अल्पमत का सवाल है, अगर वस्तुतः जनसंख्या इतनी है कि उनको चुनाव लड़ने के लिये अतिरिक्त अधिकार की जरूरत नहीं है, अगर स्थिति ऐसी है कि इससे बहुसंख्यक सम्प्रदाय पर यह प्रभाव पड़ेगा कि उनका बहुमत प्रभावशून्य हो जायेगा; तो फिर यह ऐसी स्थिति है जिस पर विचार करना जरूरी है। इसलिये अगर सिर्फ यह सुझाव दिया गया है, जैसा कि इस संशोधन में है कि इस प्रश्न को अभी स्थगित रखा जाये और पूर्वी पंजाब के प्रश्न पर विचार करते समय इस पर भी विचार किया जाये, तो इस पर आशंका की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने ये रियायतें दी हैं, उनकी सच्चाई के सम्बन्ध में कोई सन्देह न होना चाहिये; वे मूल बात पर स्थिर रहेंगे। अतः मुझे यह संशोधन मान लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और मेरा प्रस्ताव है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाये।

***अध्यक्षः** सिर्फ एक ही संशोधन है, जिसका आशय है कि पश्चिमी बंगाल का प्रश्न बाद में विचार के लिये अभी स्थगित रखा जाये। प्रस्तावक महोदय ने संशोधन को स्वीकार कर लिया है। तो क्या मैं यह मान लूं कि सभा इस सुझाव को स्वीकार करती है?

***माननीय सदस्यगणः** हां!

***अध्यक्षः** तो मैं खण्ड 4 पर मतदान लेता हूं।

खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''अल्पसंख्यकों को, जिनके लिए जगहें सुरक्षित रख दी गयी हैं, आबादी के आधार पर स्थान दिये जायेंगे और किसी सम्प्रदाय को कोई वजन न दिया जायेगा।''

मैं नहीं समझता कि इस पर किसी बहस की जरूरत है, क्योंकि इस प्रश्न पर समाचार पत्रों में काफी विचार किया गया है और कमेटी में भी इस पर यथेष्ट वाद-विवाद हो चुका है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इससे मतभेद रखता हो। सभा की स्वीकृति के लिये मैं इसे उपस्थित करता हूं।

***अध्यक्ष:** इस पर दो संशोधन आए हैं।

(मि. तजम्मुल हुसैन और श्री खांडेकर ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

मैं इस खण्ड पर मतदान लेता हूं।

खण्ड स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** बाद के खण्डों पर भी मैं समझता हूं, कोई संशोधन नहीं रखे जायेंगे।

''अपने सम्प्रदाय का कम से कम एक निश्चित संख्यक मत पाने का प्रतिबंध न रहेगा:

'यह प्रतिबंध नहीं रहेगा कि अल्पसंख्यक सम्प्रदाय का उम्मीदवार जो किसी सुरक्षित जगह के चुनाव के लिए खड़ा होगा, उसको निर्वाचित घोषित होने के लिए अपने सम्प्रदाय का कम से कम एक निश्चित संख्यक मत प्राप्त करना होगा'।''

अतीत काल में बहुधा इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है और पृथक निर्वाचन का यह एक रूपान्तर मात्र है, इस पर विचार किया गया है और बदली

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

हुई स्थिति को देखते हुये इस तरह की व्यवस्था रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस बात पर एकमत हैं कि ऐसा प्रतिबन्ध जरूरी नहीं है। श्रीमान्, सभा की स्वीकृति के लिये मैं यह खण्ड उपस्थित करता हूं।

(सर्वश्री तजम्मुल हुसैन और केशवराव ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***श्री के.टी.एम. अहमद इब्राहीम साहब बहादुर** (मद्रास: मुस्लिम): पोकर साहब और मैं संशोधन नं. 4 की सूचना दे चुके हैं और यह संशोधन इस खण्ड के सम्बन्ध में है।

***अध्यक्ष:** मैं इसको बाद में लूंगा। श्री नागप्पा, अब आप अपना मन्तव्य व्यक्त करें।

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की निगाह में यह बतलाना चाहता हूं कि मेरा यह अनुरोध है कि परिगणित जातियों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि उन्हें अपने सुरक्षित जगहों पर निर्वाचित होने के लिये अपने सम्प्रदाय का एक निश्चित प्रतिशत वोट अवश्य प्राप्त करना होगा। श्रीमान्, मैं जानता हूं कि इससे उस सम्प्रदाय के उम्मीदवार को एक प्रतिष्ठा और नेतृत्व की मर्यादा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिये, अगर हम सुरक्षित जगहों के लिये आज चुने जाते हैं और किसानों का झगड़ा खड़ा हो जाता है, हरिजन और किसानों में झगड़ा हो जाता है और हम इनको समझाने और मनाने जाते हैं तो ये कहते हैं ''हटो, यहां से तुम सवर्ण हिन्दुओं के पिट्ठू हो। तुमने हमारी जाति को बेच दिया है और अब उनकी ओर से हमारा गला काटने आए हो। हम तुम्हें अपना प्रतिनिधि नहीं मानते।'' श्रीमान्, इससे बचने के लिये मेरा यह सुझाव है कि हरिजनों के एक निश्चित प्रतिशत संख्यक वोट उम्मीदवार को मिलने ही चाहियें, ताकि वह कह सके कि उसे कुछ हरिजनों का समर्थन प्राप्त है और उनके प्रतिनिधि की हैसियत से उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो और वह कुछ कह सके। यह प्रतिष्ठा तथा उनकी ओर से बोलने के लिये यह अधिकार पाना उनके लिये जरूरी है।

***श्री एच.जे. खाण्डेकर:** संशोधनकर्ता महोदय अपना संशोधन रख रहे हैं या भाषण दे रहे हैं? उनको यह बता देना चाहिये कि वह अपना संशोधन पेश कर रहे हैं या नहीं।

***अध्यक्षः** क्या आप संशोधन पेश कर रहे हैं या नहीं?

***श्री एस. नागप्पाः** जी हां, मैं संशोधन पेश कर रहा हूं।

***माननीय श्री बी.जी. खेर** (बम्बईः जनरल): कल माननीय सदस्य महोदय ने सरदार पटेल को इसके लिये बधाई दी थी कि उन्होंने बड़ी दृढ़ता का परिचय दिया और इस संशोधन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। अब वे इस संशोधन को पेश कर रहे हैं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** वे केवल भाषण देने के लिये उसे पेश कर रहे हैं और फिर उसे वापस ले लेंगे। *(हर्षध्वनि)*

***अध्यक्षः** प्रत्येक सदस्य को पूर्व मत से भिन्न मत प्रकट करने का अधिकार प्राप्त है।

***श्री एस. नागप्पाः** श्रीमान्, मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि यह किस प्रकार पृथक निर्वाचक समूहों का प्रश्न नहीं है।

***श्री मोहनलाल सक्सेना** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): सदस्य महोदय को पहले अपना संशोधन पेश करना चाहिये और उसके बाद अपना भाषण देना चाहिये।

***अध्यक्षः** जब उन्होंने यह कह दिया है कि वे उसे पेश कर रहे हैं तो इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। श्री नागप्पा, आप कृपा करके संशोधन पढ़ दीजिये।

***श्री एस. नागप्पाः** संशोधन इस प्रकार हैः

''पैरा 6 के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जायेः

'परन्तु शर्त यह है कि परिगणित जातियों के सम्बन्ध में उम्मीदवार को, इसके पूर्व कि यह घोषित किया जाये कि वह परिगणित जातियों के लिए सुरक्षित जगह के लिए निर्वाचित हो गया है, उस सुरक्षित जगह के लिए जो चुनाव हो उसमें परिगणित जातियों के लोगों द्वारा दी हुई वोटों में से कम से कम 35 प्रतिशत वोट प्राप्त हो गई हों'।''

[श्री एस. नागप्पा]

अब श्रीमान्, मैं इसका स्पष्टीकरण करूंगा कि किस प्रकार इससे पृथक निर्वाचन समूह नहीं बनते।

श्री के.एम. मुन्शी: क्या माननीय संशोधनकर्ता संशोधन पेश करना चाहते हैं या उसे वापस लेना चाहते हैं?

***अध्यक्ष:** उन्होंने कहा है कि वे उसे पेश करना चाहते हैं।

***श्री एस. नागप्पा:** उदाहरण के लिये, मान लीजिये कि सुरक्षित जगहों के लिये चार उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी मान लीजिये कि परिगणित जातियों के 100 मतदाता हैं और उनमें से सभी आकर वोट देते हैं। 'क' 36 वोटें पाता है और 'ख' 35। इनका जोड़ 71 हुआ। तीसरे उम्मीदवार के लिये केवल 29 वोटें रह गई। अब उस उम्मीदवार के सम्बन्ध में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं जिसे केवल 29 प्रतिशत वोटें मिली हों। इसके अतिरिक्त दो चुनाव करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप मतदाताओं को दो प्रकार के रंगीन पर्चे दे सकते हैं जिनमें से एक सफेद हो और दूसरा किसी अन्य रंग का। केवल परिगणित जाति के उम्मीदवार के लिये ही रंगीन पर्चा डालना चाहिये और यदि कोई उम्मीदवार परिगणित जातियों के लोगों की 35 प्रतिशत से अधिक वोटें पा जाये या यों कहिये कि रंगीन पर्चे पा जाये तो दूसरे उम्मीदवार के बारे में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। श्रीमान्, यदि वह 36 प्रतिशत भी पा जाये और आम चुनाव में सबसे अधिक वोट न पाये तो उसे निर्वाचित न घोषित करना चाहिये। इस प्रकार यदि 'ग' अपनी जाति की 36 प्रतिशत वोट पाता है और 'घ' केवल 35 प्रतिशत वोट पाता है तो यदि 'ग' चुनाव में अन्य जातियों की अधिकांश वोट नहीं पाता है तो वह हारा हुआ माना जायेगा और 'घ' यदि वह आम चुनाव में, 'ग' से अधिक वोट पाये तो चाहे उसने अपनी जाति की कम वोट पाई हों वह निर्वाचित घोषित किया जायेगा। आखिर चुनाव तो आम निर्वाचक-समूह या जाति के हाथ में ही रहेगा। पूना के निर्णय के अनुसार आपने प्रारम्भिक चुनाव में चार उम्मीदवारों के निर्वाचन की व्यवस्था की है। इसका अर्थ यह है, यदि कोई व्यक्ति 25 प्रतिशत वोट पा जाये तो वह फिर आम चुनाव में खड़ा हो सकता है। इसका अर्थ पृथक निर्वाचक-समूह ही तो है। यह बहुत कुछ पृथक निर्वाचक-समूह ही हुआ। मैं पृथक निर्वाचक-समूह नहीं चाहता हूं। मैं पृथक निर्वाचक-समूहों के दोषों से परिचित हूं। मैं संयुक्त निर्वाचक-समूहों के पक्ष में हूं। संयुक्त निर्वाचक-समूहों

की व्यवस्था करने पर हमें ऐसी कोई बात न करनी चाहिये जिससे हरिजन प्रतिनिधियों के प्रति उनकी जाति द्वेष करने लगे जो कि इस समय उन्हें बहुसंख्यक जाति के दिखावे के टट्टू कहती है। यदि जिस व्यवस्था को मैंने प्रस्तावित किया है उसे स्वीकार कर लिया जाये तो हम अपनी जाति के लोगों के सामने जाकर उनसे कह सकते हैं, ''देखिये हम अपनी जाति के भी 35 प्रतिशत बहुमत से चुने गये हैं, हम दिखावे के टट्टू नहीं हैं।'' अपने संशोधन द्वारा मैं उम्मीदवारों की संख्या चार से दो कर देना चाहता हूं, और ऐसे व्यक्ति के निर्वाचन की व्यवस्था करना चाहता हूं, जिसे बहुसंख्यक जाति की अधिकांश वोट प्राप्त हों। मैं सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे बिना किसी प्रकार के द्वेष के इस पर विचार करें। श्रीमान्, इस संशोधन को पेश करने के लिये आपने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्री के.टी.एम. अहमद इब्राहीम साहब बहादुरः** अध्यक्ष महोदय, मैं यह पेश करता हूं कि अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों इत्यादि से सम्बन्धित सलाहकार कमेटी की अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रिपोर्ट पर विचार करने पर विधान-परिषद् की यह बैठक यह निश्चय करती है कि यदि केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभाओं के चुनाव सभी जातियों के संयुक्त निर्वाचन-समूहों के आधार पर किये जायें और अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रखी जायें, तो चुनाव निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिये।

मैं (ख) को पेश नहीं कर रहा हूं।

''उन उम्मीदवारों में से जिन्होंने अपनी ही जाति के लोगों द्वारा दी हुई वोटों की 30 प्रतिशत वोट प्राप्त की हों, वह उम्मीदवार जिसने निर्वाचकों की संयुक्त सूची में से सबसे अधिक वोट पाई हों निर्वाचित घोषित किया जायेगा। इस दशा में जबकि कोई भी ऐसा उम्मीदवार न हो जिसने अपनी जाति के लोगों द्वारा ही हुई वोटों में से 30 प्रतिशत से कम वोट प्राप्त न की हों तो उन दो उम्मीदवारों में से जिन्होंने अपनी जाति के लोगों द्वारा दी हुई वोटों में से सबसे अधिक वोट पाई हों वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जायेगा, जिसने कुल वोटों में से सबसे अधिक वोट प्राप्त की हों।''

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि खण्ड 1 के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रखने का जो उद्देश्य है उसकी शर्तें संतोषजनक

[श्री के.टी.एम. अहमद इब्राहीम साहब बहादुर]

रूप से हो जायें, यदि कोई व्यक्ति किसी सुरक्षित जगह के लिये किसी निर्वाचन-क्षेत्र से चुना जाये तो साधारणतया यह समझा जायेगा कि वह व्यक्ति उस जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और वह उस जाति विशेष के दृष्टिकोण और मत को उद्घोषित करेगा जिसके कि पक्ष में उस निर्वाचन-क्षेत्र में वह जगह सुरक्षित रखी गई हो। अब श्रीमान्, उस जाति विशेष का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिये उसे उस जाति का विश्वास-भाजन होना चाहिये। इसलिये हम यह चाहते हैं कि यदि वह उस जाति के अधिकांश लोगों का विश्वास-भाजन नहीं है तो उसे जाति के मतदाताओं की कम से कम 30 प्रतिशत या इससे भी कम संख्या का तो विश्वास-भाजन होना ही चाहिये। श्रीमान्, आप इसे स्वीकार करेंगे कि यह एक बहुत ही न्यायसंगत प्रार्थना है। किसी भी प्रकार के प्रजातन्त्र में प्रत्येक नागरिक का यह आधारभूत तथा अत्यावश्यक अधिकार है कि उसका दृष्टिकोण व उसके विचारों को देश की धारा-सभा के सम्मुख रखा जाये। यदि धारासभा में भेजे हुये लोग उस जाति के अधिकांश लोगों के नहीं तो कम से कम उसके लोगों के पर्याप्त भाग के विश्वास-भाजन नहीं हैं तो किसी भी नागरिक को यह विश्वास कैसे हो सकता है कि उसके मत और विचारों को सभा के सामने ठीक तौर से रखा जायेगा? आपको श्रीमान्, यह भी स्मरण होगा कि इस देश के सभी दलों और इसकी सभी जातियों के बीच समझौता होने पर इलाहाबाद में सन् 1932 ई. में जो तृतीय ऐक्य सम्मेलन हुआ था, उसमें बहुत कुछ सभी के मत से इसी प्रकार की व्यवस्था स्वीकार की गई थी।

मैंने अपना संशोधन उस समय जो समझौता हुआ था कि उसी में कुछ परिवर्तन करके पेश किया है। श्रीमान्, मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था न रखी गई तो जो व्यक्ति सुरक्षित जगह के लिये निर्वाचित होगा, उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उस जाति की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पक्ष में वह जगह सुरक्षित रखी गई हो। इसका अर्थ यह होगा कि उस जाति पर वास्तव में अन्य जाति द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को थोपा जायेगा और वही इस जाति का प्रतिनिधित्व करेगा। यद्यपि उस जाति के लाभार्थ उसके लिये जगहें सुरक्षित रखी गई थीं, परन्तु वास्तव में वह अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन पायेगी। इतने काल बाद अब यह नहीं कहा जा सकता कि इस देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है और उनके कोई ऐसे विशेष हित नहीं हैं जिनकी रक्षा की जाये। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में सलाहकार समिति और अल्पसंख्यकों की उपसमिति को नियुक्त करने का ही यह अर्थ है कि अल्पसंख्यक

वर्तमान हैं और यह कि उनके विशेष हित हैं। इसके पहले जो रिपोर्ट पेश की गई वह भी इसी धारणा से पेश की गई कि अल्पसंख्यकों के कुछ ऐसे हित हैं जिनकी रक्षा करना आवश्यक है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह सभा यह न समझे कि कोई अल्पसंख्यक नहीं है और कोई ऐसे विशेष हित नहीं हैं जिनके सम्बन्ध में व्यवस्था करना आवश्यक हो। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि इन अल्पसंख्यकों की सबसे अच्छी प्रकार रक्षा किस तरह की जाये। वर्तमान प्रजातंत्र का एक मुख्य प्रश्न यह भी है कि बहुसंख्यकों की कठोरता को किस प्रकार अच्छे से अच्छे ढंग से संयत किया जाये, ताकि अल्पसंख्यकों को उसका अभिशाप न भोगना पड़े। अब श्रीमान्, इस युग में राजाओं के दैवी अधिकार का स्थान जैसा कि एक न्यायविशेषज्ञ ने कहा है, बहुसंख्यकों के दैवी अधिकार ने ले लिया है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि बहुसंख्यकों की कठोरता को किस प्रकार अच्छी से अच्छी तरह संयत किया जाये, ताकि अल्पसंख्यक को बहुसंख्यकों का और उनके बनाये हुये विधान का विश्वास हो सके ताकि वे इस विधान को सच्चाई से और नेकनीयती से प्रयोग में लाने में सहायक हो सकें। हम यहां देश के नागरिकों के नाते इस प्रकार विधान बनाने के लिये एकत्रित हुये हैं कि जनता के सभी वर्गों को अपने अधिकारों के सम्बन्ध में आश्वासन मिले और उनको इसका विश्वास हो कि उनके अधिकारों की रक्षा की जायेगी। इस संशोधन का उद्देश्य केवल इतना ही है कि इन सभी प्रतिनिधियों के चुनाव में जिनसे यह आशा की जाती है कि वे किसी अल्पसंख्यक समुदाय या जाति की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करेंगे, उस अल्पसंख्यक समुदाय या जाति के मतदाताओं के वोटों का उचित अनुपात उन प्रतिनिधियों को प्राप्त होना चाहिये। यह एक बहुत ही न्यायोचित प्रार्थना है और श्रीमान्, इस संशोधन को स्वीकार करके हम किसी निर्वाचन-क्षेत्र की प्रतिनिधि के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करने का अधिकार बहुसंख्यक जाति से नहीं छीन रहे हैं। इसलिये श्रीमान्, मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि वह, जैसा कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने कहा है, इस प्रश्न पर मैत्री के वातावरण में विचार करें। माननीय प्रस्तावक महोदय ने ठीक ही कहा है कि ''हमें कटुता की परम्परा को त्याग देना चाहिये'' और हमें उत्तेजना रहित होकर इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। श्रीमान्, मेरी यह मनोकामना है कि इस प्रश्न पर बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में विचार होना चाहिये। मैं तो यह चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की इस रिपोर्ट पर उस समय विचार किया जाता जब कि यह देश आवेश रहित हो जाता और इस समय जो उत्तेजना है वह शांत हो जाती, परन्तु दुर्भाग्यवश यह इस समय विचार के लिये प्रस्तुत है। माननीय प्रस्तावक महोदय की अपील का

[श्री के.टी.एम. अहमद इब्राहीम साहब बहादुर]

समर्थन करते हुये मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप आवेश रहित होकर इस प्रश्न पर विचार करें और किसी प्रकार की उत्तेजना न उत्पन्न होने दें। आखिर हमारी प्रार्थना यही तो है कि अल्पसंख्यक जाति के लोगों को इसके लिये आवश्यक सुविधा दी जाये कि उनके नाम से चुने हुये और उनकी तरफ से बोलने वाले प्रतिनिधियों को उचित अनुपात में मतदाताओं का विश्वास प्राप्त होना चाहिये। इसमें कोई राष्ट्रविरोधी बात नहीं है और न कोई ऐसी बात है जिसका आधार ही दोषपूर्ण हो। इसके विपरीत यह एक मौलिक तथा अत्यावश्यक अधिकार प्रदान करेगा जो किसी भी प्रजातन्त्र में प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होता है और वह यह है कि उसे अपने देश की धारा-सभा में ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो जिस पर उसका विश्वास हो। अल्पसंख्यकों द्वारा चुने हुये सदस्यों का आखिर अल्पसंख्यक ही दल होगा और धारा-सभा में बहुसंख्यकों के निर्णय पर उनका प्रभुत्व न होगा। इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि अल्पसंख्यकों और अन्य जातियों के मत और विचारों का सभा में उस व्यक्ति द्वारा उचित रूप से प्रकाशन हो जिस पर इन जातियों का विश्वास हो—कम से कम उनकी एक सीमित जनसंख्या का तो उस पर विश्वास होना ही चाहिये। इस संशोधन का उद्देश्य यही है। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे बहुसंख्यकों के अधिकारों में हस्तक्षेप किस प्रकार होगा या इससे बहुसंख्यक जाति किस प्रकार अल्पसंख्यक जाति में परिणत हो जायेगी। श्रीमान्, किसी भी विधान के सफल होने के लिये यह आवश्यक है कि उससे जनसमाज के सभी वर्गों में विश्वास उत्पन्न हो। हम यह चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता प्राप्त की गई है—जो नवजात स्वतंत्रता प्राप्त हुई है—उसका उपभोग जनसमाज के सभी वर्ग करें और यह तभी सम्भव हो सकता है जब इस सभा के बनाये हुये विधान में लोगों के सभी वर्गों की स्वाधीनता और स्वतंत्रता की व्यवस्था हो और उससे सभी वर्गों के लोगों के हृदय में विश्वास उत्पन्न हो। मेरा संशोधन इसी दिशा की ओर एक कदम है और मैं तो यह कहूंगा कि इससे विभिन्न वर्गों और जातियों के बीच सामञ्जस्य, सद्भाव और सुहृदयता का प्रादुर्भाव होगा। जनसमाज के विभिन्न वर्गों के बीच इस सामञ्जस्य और सद्भाव के लिये यह आवश्यक है कि उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न किया जाये और इसीलिये मैं इस सभा से यह स्मरण रखने के लिये कहता हूं कि आखिर हम इतना ही चाहते हैं कि विशेष जातियों के मतदाताओं की एक न्यायोचित संख्या द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जायें। श्रीमान्, मैं सभा का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सभी प्रजातन्त्रों में एकाकी हस्तान्तरित मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व

की प्रणाली मान्य है और जो विधान हम बना रहे हैं उसके अनुसार होने वाले कुछ चुनावों के सम्बन्ध में इस सभा ने भी उस प्रणाली को स्वीकार किया है। इस संशोधन का एकल संक्राम्य मतदान द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली से सामञ्जस्य है और इसलिये मुझे आशा है कि यह सभा उसे स्वीकार कर लेगी। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि परिगणित जातियों की तरफ से मेरे माननीय मित्र श्री नागप्पा ने भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त किये हैं। आप यह समझ जायेंगे कि इसके लिये हमें किसी के प्रति द्वेष भाव से प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई है परन्तु हमारी इच्छा यही है कि अल्पसंख्यकों को इसका विश्वास हो कि धारा-सभा में उनकी विचारधारा का प्रतिनिधित्व ऐसे लोगों द्वारा होगा जिनका कि उन्हें विश्वास होगा और जिनके चुनाव में वे अपने मत को तर्कपूर्ण ढंग से प्रकट कर सकेंगे। मैं यह सिफारिश करता हूं कि सभा मेरे संशोधन को स्वीकार कर ले।

***श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदन** (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव चार सदस्यों के नाम से है और पहला नाम माननीय डाक्टर बी. आर. अम्बेडकर का है। मुझे इसका आश्चर्य है कि एक ऐसे सदस्य महोदय ने इस संशोधन को पेश किया है जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुने गये हैं और एक ऐसे सदस्य भी हैं जो बराबर पृथक निर्वाचन-समूहों और कुछ प्रतिशत जगहों के तथाकथित संरक्षण का समर्थन करते रहे हैं परन्तु आज वे इस सभा से लापता हैं। यदि इस संशोधन को सच्चे हृदय से पेश किया गया है तो सूची में जिनका नाम सबसे प्रथम है वे आगे पाते। मेरी समझ में नहीं आता कि एक अन्य सदस्य महोदय ने यह जिम्मेदारी अपने मत्थें क्यों ली है। परोक्ष में इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। संशोधन के प्रस्तावक महोदय श्री नागप्पा जब इस सभा में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर आये तो उन्होंने यह कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है कि वे अपनी ही जाति की वोटों से यहां आयें और इसलिये उन्हें उस जाति का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। यदि श्री नागप्पा का यह विचार है कि यदि वे ऐसे चुनाव से यहां पधारे हैं तो उनके लिये बुद्धिमत्ता की तथा सर्वोत्तम बात यही होगी कि वे इस सभा की सदस्यता के अधिकार को त्याग दें *(हर्षध्वनि)*। यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो अपनी जाति के वोटों से या आम लोगों की वोटों से चुना गया हो, यह समझता है कि वह उस जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अयोग्य है तो उसे रंगमंच से अलग हो जाना चाहिये और किसी भी राजनैतिक कार्य में भाग नहीं लेना चाहिये। मेरे विचार से डा. अम्बेडकर ने इस अवसर पर उपस्थित न होकर बड़ी समझदारी का काम

[श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदन]

किया क्योंकि वे जानते थे कि इस संशोधन को यह सभा आज या किसी दिन भी स्वीकार करने वाली नहीं है। जैसा कि कल अल्पसंख्यकों की कमेटी के सभापति ने बताया, इन बातों को कमेटी ने बहुमत से स्वीकार किया और चाहे यहां जो भी कारण बताये जायें वे जानते थे कि इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिये अपना समय नष्ट न करके वे अपने काम से चले गये क्योंकि वे मन्त्रिमण्डल का कार्य कर रहे हैं। किसी महाशय ने यह बहाना बताया है कि यदि इस प्रकार के निर्वाचन समूह रखें जायेंगे तो लोगों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं आ पायेंगे। यदि हम किसी जाति की कुछ प्रतिशत वोटों की मांग का विश्लेषण करें तो हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि इसका अर्थ विशुद्ध पृथक निर्वाचन-समूह ही है (*वाह वाह*)। जिन माननीय सदस्यों ने इस संशोधन को पेश किया है उनसे मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या वे अन्य जातियों के लोगों की दी हुई वोटों को भी कुछ महत्व दे रहे हैं? यदि कोई उम्मीदवार अपनी जाति की वोटों की 34 प्रतिशत वोट पाता है और दूसरा उम्मीदवार 35 प्रतिशत वोट पाता है और यदि पहला उम्मीदवार आम लोगों से 200 वोट पाता है और दूसरा 100 वोट पाता है, तो यदि हम उसी जाति की प्रतिशत वोटों का हिसाब लगायें तो दूसरा उम्मीदवार अवश्य ही निर्वाचित होगा। इसका अर्थ यह होता है कि अन्य जातियों की वोटों का कुछ भी महत्व नहीं है, भले ही पहले उम्मीदवार ने आम लोगों से दूसरे उम्मीदवार से दुगनी वोट पाई हों।

इसके अतिरिक्त मैं एक अन्य कारण से इस संशोधन का विरोध कर रही हूं। यदि हरिजनों को इतने प्रतिशत वोटों द्वारा निर्णय करने का अधिकार दे भी दिया गया तो इस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली के अन्तर्गत हरिजनों को चुनाव के समय जो प्रलोभन दिखाये जायेंगे उनसे उपराम होने का सामर्थ्य इस समय हरिजनों में नहीं है। कई दल अपने-अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सकते हैं और वे हरिजनों को मोल लेकर अपनी इच्छानुसार उम्मीदवारों को खड़ा कर सकते हैं और धारासभा में इस प्रकार कोई भी उम्मीदवार आ सकते हैं परन्तु यह निश्चित है कि वह अपनी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, भले ही उसको इस प्रणाली द्वारा निश्चित प्रतिशत वोट मिल जायें। जब तक परिगणित जातियां या हरिजन, चाहे उनको आप जो कोई नाम दें, अन्य लोगों के आर्थिक दास हैं, उस समय तक पृथक निर्वाचक-समूह या संयुक्त निर्वाचन-समूह या इस प्रकार सुरक्षित प्रतिशत वोटों के साथ किसी अन्य प्रकार के निर्वाचन-समूह की मांग करना कोई अर्थ नहीं

रखता (*वाह वाह*)। जहां तक मेरा अपना सम्बन्ध है मैं किसी जगह भी किसी प्रकार के संरक्षण के पक्ष में नहीं हूं (*वाह वाह*)। दुर्भाग्य से इन सब बातों को हमें इसलिये स्वीकार करना पड़ा कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद अपने कुछ निशान हम पर लगा गया है और हम हमेशा एक दूसरे का भय करते हैं। इसी कारण हम पृथक निर्वाचन-समूहों को नहीं छोड़ सकते। यह संयुक्त निर्वाचक-समूह और जगहों का संरक्षण भी इस प्रकार का पृथक निर्वाचक-समूह ही है। परन्तु हमें इस दोष को सहन करना है क्योंकि हम समझते हैं कि यह दोष आवश्यकीय है। मैं इस संशोधन का विरोध इसलिये करना चाहती हूं कि यह हमारे मार्ग में बाधक सिद्ध होगा और इसलिये कि जब वास्तव में यह प्रणाली प्रयोग में लाई जायेगी तो हरिजन ठीक-ठीक विचारधारा को नहीं अपना सकेंगे। हरिजनों के ठीक विचारधारा न अपना सकने के कारण ही उन्होंने इस प्रकार का संशोधन यहां पेश किया है। यदि वे यह समझते हैं कि अन्य जातियों से अलग रहकर वे उन्नति कर सकेंगे तो उनका विचार गलत है। बहुसंख्यक जाति के साथ होकर और अपनी ही जाति की वोटों पर निर्भर न होकर वे अधिक उन्नति कर सकते हैं। मैं इस संशोधन के प्रस्तावक महोदय को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि यदि आप इस प्रकार का निर्वाचन-समूह स्थापित करेंगे तो उससे हरिजनों को कोई लाभ न होगा। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करती हूं और मुझे आशा है कि इस सभा का कोई सदस्य इसका समर्थन न करेगा। (*हर्ष ध्वनि*)।

(कई सदस्य बोलने के लिये उठ खड़े हुये।)

***अध्यक्षः** बहुत से सदस्यों ने इस पर बोलने के लिये मुझसे आज्ञा मांगी है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, अधिक बहस करने के पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। श्री नागप्पा को इसी शर्त्त पर इस संशोधन को पेश करने की आज्ञा दी गई थी कि वे इसे वापस ले लेंगे। अधिक बहस करने से कोई लाभ न होगा। वे अपनी जाति को केवल यह दिखाना चाहते थे कि उन्होंने अपने को बेच नहीं दिया है। यदि आप इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे और उसे महत्व देंगे तो इससे यह प्रकट होगा कि उसमें कुछ सार है। आप उस पर विचार करके सभा का समय क्यों नष्ट करना चाहते हैं?

***अध्यक्षः** क्या श्री नागप्पा के संशोधन पर अधिक बहस करना आवश्यक है?

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती** (मद्रासः जनरल): श्रीमान्, उस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

***कई माननीय सदस्य:** बहस समाप्त कीजिये, बहस समाप्त कीजिये।

***अध्यक्ष:** बहस समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। मि. इब्राहीम का संशोधन अभी शेष है।

(मि. काजी सैयद करीमुद्दीन बोलने के लिये उठे।)

***अध्यक्ष:** क्या आप उस पर बोलना चाहते हैं? हम श्री नागप्पा के संशोधन को छोड़ चुके हैं।

***श्री काजी सय्यद करीमुद्दीन** (मध्य प्रान्त और बरार: मुस्लिम): श्रीमान्, मैं मि. इब्राहीम के संशोधन का समर्थन करता हूं और मुझे थोड़े-से शब्द कहने हैं। संयुक्त निर्वाचक-समूहों के समर्थन में पंडित पंत और सरदार पटेल के भावपूर्ण भाषणों को मैं बड़े धैर्य से सुनता रहा हूं। मेरा कहना यह है कि वर्तमान स्थिति के लिये केवल पृथक निर्वाचक-समूह ही उत्तरदायी नहीं है। मैं उन कई बातों की गम्भीरता को कम नहीं करना चाहता जिनके कारण वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न हुई है, परन्तु मुस्लिम लीग दल की तरफ से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कलंक को भारतवर्ष से मिटाने के लिये हम भी उतने ही दृढ़-प्रतिज्ञ हैं और इस सम्बन्ध में अपना योग देने में हम कोई बात उठा न रखेंगें।

श्रीमान्, मि. इब्राहीम ने यह संशोधन पेश किया है कि संयुयक्त निर्वाचक-समूह हो परन्तु जगहें सुरक्षित रखी जायें और किसी विशेष जाति के सदस्य को अपनी जाति के लोगों की 33 प्रतिशत वोट प्राप्त करनी चाहिये। हम इसे भुला नहीं सकते कि अविश्वास की भावना वर्तमान है। हम देश की वर्तमान स्थिति से विमुख नहीं हो सकते। हम सभी लोगों की यह इच्छा है कि वह अब समाप्त होनी चाहिये। किन्तु हमें भय है कि ऐसा न हो, अविश्वास की भावना प्रबल है और हमें बड़ी सावधानी से तथा शांतिपूर्वक आगे कदम उठाना है। यह सभा पृथक निर्वाचक-समूहों को समाप्त करने का निर्णय कर चुकी है और हमें एक ऐसी युक्ति निकालनी है जिससे अल्पसंख्यकों को संतोष हो जाये। मि. इब्राहीम की युक्ति या संशोधन इसकी व्यवस्था करता है कि संयुक्त निर्वाचक-समूह हों। अल्पसंख्यक जाति के किसी भी उम्मीदवार को अपनी टोपी हाथ में लेकर अन्य जातियों के पास वोट की भीख मांगने के लिये जाना होगा। साम्प्रदायिकता धीरे-धीरे मर जायेगी। इसके अतिरिक्त उस उम्मीदवार को अपनी जाति का भी प्रतिनिधित्व

करना है। आखिर किस उद्देश्य से आपने जगहें सुरक्षित की हैं? जगहें सुरक्षित इसलिये की जाती हैं कि कोई उम्मीदवार किसी विशेष जाति का प्रतिनिधित्व करे।

***एक माननीय सदस्यः** जी नहीं, महाशय।

***श्री काजी सय्यद करीमुद्दीनः** उसे अपनी जाति की भावनाओं को तथा आकांक्षाओं को दृष्टि में रखना चाहिये। यदि यह तय नहीं किया जाता कि उसे अपनी जाति की कम से कम निश्चित वोटें प्राप्त करनी चाहियें और यदि वह उन वोटों को प्राप्त नहीं कर सकता है तो मैं यह कहूंगा कि यह ऐसा ही होगा जैसे मुस्तगीज वकील को तो रखे परन्तु वकील मुस्तगीज के हितों के विरुद्ध हो। एक घास का पुतला या झूठमूठ ही अपने विचार बदला हुआ आदमी भी उस जाति के एक सच्चे आदमी को हटा देगा। इसलिये मेरी विज्ञप्ति यह है कि जगहों के संरक्षण के हित में यह कुछ काल तक आवश्यक है कि हम किसी जाति के उम्मीदवार के सम्बन्ध में यह व्यवस्था करें कि उसे कम से कम निश्चित वोटें प्राप्त करनी चाहियें। श्रीमान्, मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि संयुक्त निर्वाचक-समूहों को चलन में लाते ही सारे दोष जादू की तरह गायब हो जायेंगे। कई शताब्दियों तक इन संयुक्त निर्वाचक-समूहों से अधिक महत्व परिगणित जातियों की समस्या का होगा। कई और भी बातें हैं जिनके कारण वर्तमान स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपने जगहें सुरक्षित रखकर बड़ी उदारता दिखाई है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे भी मान जायें कि कुछ काल तक मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उम्मीदवारों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे कम से कम उस जाति की निश्चित वोटों को प्राप्त करें जो उनकी राजनैतिक आकांक्षाओं को पूर्ण करेगी।

श्री एच.जे. खाण्डेकरः सभापति जी, मेरे दोस्त नागप्पा ने जो अमेंडमेंट आपके सामने पेश की है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह अमेण्डमेण्ट चार सदस्यों के नाम से है। पहला नाम डाक्टर अम्बेडकर का है और आप सब जानते हैं कि दूसरी राउण्डटेबिल कान्फ्रेन्स से उन्होंने ज्वाइंट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़कर सैपरेट इलेक्टोरेट की मांग एडवाइज़री कमेटी की माइनोरिटी सब-कमेटी तक जारी रखी। और इस डिमाण्ड के ऊपर उनकी पार्टी के जितने हरिजन इस देश के अन्दर हैं, उनको उन्होंने यहां तक संदेश दिया कि वह हिन्दू भी नहीं हैं, हिन्दुओं से अलग रहना चाहते हैं, हिन्दुओं से अलग बस्ती बसाना चाहते हैं, अछूत स्थान चाहते हैं और वह हिन्दू धर्म के अन्दर नहीं हैं। इसलिये वह सैपरेट

[श्री एच.जे. खांडेकर]

इलेक्टोरेट चाहते हैं। 15 साल से यह चीज देश के अन्दर है और इसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दू-जाति और डाक्टर अम्बेडकर की पार्टी के हरिजनों में एक किस्म का मनमुटाव हो गया और यहां तक हो गया कि हमारे अम्बेडकर पार्टी के हरिजन हिन्दुओं के साथ बातचीत तक करना नहीं चाहते हैं। मगर मैं यह बात खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि जब यह ज्वाइण्ट और सैपरेट इलेक्टोरेट का मसला माइनोरिटी सब-कमेटी के सामने आया तो डाक्टर अम्बेडकर साहब ने इसको ज्यादा जोर से नहीं बढ़ाया बल्कि उसे वापस ले लिया। वापस इसलिये लिया कि उस उसूल के लिये उनके पास कोई आरग्यूमेण्ट नहीं था।

15 साल से मैं डाक्टर अम्बेडकर साहब की स्पीच बड़े गौर से सुनता आया और अखबारों में पढ़ता आया हूं। मगर ऐसा कोई सबब नहीं था कि जो सैपरेट इलेक्टोरेट को प्रेस करते हुये उन्होंने कोई मजबूत आरग्यूमेण्ट रखा हो। इस प्रकार उनके पास कोई आरग्यूमेण्ट न होने के कारण उन्होंने इस चीज को प्रेस नहीं किया और उसे वापस ले लिया। यह हम लोगों की बड़ी भारी विजय है। वापस लेने के बाद इस सैपरेट इलेक्टोरेट का जरिया निकला जिसके जरिये यह परसन्टेज का मसला यहां पेश हो गया। इसका खुल्लमखुल्ला यह अर्थ है कि वह दूसरी तरह से एक प्रकार से सैपरेट इलेक्टोरेट चाहते हैं। अगर मैं आपके सामने बयान करूं की इस सैपरेट इलेक्टोरेट से देश के अन्दर क्या परिणाम हुआ। लार्ड मौरलो मिण्टो की वजह से मुसलमानों को सैपरेट इलेक्टोरेट मिला और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश के दो टुकड़े हो गये। उसी सैपरेट इलेक्टोरेट को आज परसण्टेज के रूप में हमारे सामने ला रहे हैं। इसको अगर हरिजनों के लिये, मुसलमान भाइयों के लिये मंजूर कर लिया गया तो वही होगा जो मेरे दोस्त मि. जिन्ना हमेशा चाहते हैं; यानी पाकिस्तान और मुस्लिम हिन्दुस्तान; इसका अर्थ यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर एक और पाकिस्तान तैयार करना। इसलिये अब तो बहुत हो गया। हिन्दुस्तान के टुकड़े हो गये। मुसलमान भाई जो चाहते थे और जिनमें उनकी भलाई थी, ऐसा वे कहते थे, वह उनको मिल गया। मिलने के बाद मेहरबानी से वह हिन्दुस्तान के अन्दर पाकिस्तान बनाने की कोशिश न करें। खैर इस प्रकार का अमेण्डमेण्ट वह हाउस के अन्दर न लायें।

मुझे मालूम हुआ है कि जो हमारे मुसलमान भाई इस देश के अन्दर करीब 3 करोड़ हैं, उनको जितनी सहूलियतें मिलनी चाहिये थी, वह सारी की सारी मिल

गई हैं और एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट से मिल रही हैं। फिर वे यह कहते हैं कि हमारे सच्चे नुमाइन्दे चुनने के लिये हमको परसण्टेज आफ वोट मिलना चाहिये। मेरे दोस्त मि. नागप्पा जो अम्बेडकर से मिले हुये हैं और किसी आशा पर उनके हाथ में खेल रहे हैं, वह भी यही कहते हैं कि इसी तरह से हमारे सच्चे नुमाइन्दे चुनकर आयेंगे। मैं इन भाइयों से पूछता हूं कि सच्चे नुमाइन्दे का क्या अर्थ है? मैं इस असेम्बली का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। अगर मेरे दोस्त नागप्पा हरिजनों के सच्चे नुमाइन्दे बन कर आयें, हिन्दू हिन्दुओं के सच्चे नुमाइन्दे बनकर आयें और काजी साहब यहां मुसलमानों के सच्चे नुमाइन्दा बनकर आये हैं तो इस असेम्बली का क्या होगा? कानूनी काम तो होगा ही नहीं। मगर सच्चे मुसलमान भाई मि. जिन्ना की जय, और मेरे दोस्त नागप्पा डाक्टर अम्बेडकर की जय और हम लोग भारत माता की जय या दूसरे नारे इस हाउस के अन्दर लगाते रहेंगे और आपस में यहां एक न एक पर खुर्चियां चलेंगी। तब मेरे दोस्त काजी साहब और नागप्पा से मैं पूछता हूं कि ऐसे वक्त किस के सिर फूटेंगे–मैजारिटी के या मायनोरिटी के?

दूसरी बात जो मैंने अभी बताई कि यह जो परसण्टेज आफ वोट्स है वह सैपरेट इलेक्टोरेट का एक जरिया है और इसलिये मैं इसका विरोधी हूं। इसके बाद भी कुछ अमेण्डमेण्ट आपके सामने आ रहे हैं जैसे क्युमिलेटिव वोटिंग पद्धति के बारे में जो सैपरेट इलक्टोरेट का एक बच्चा है। इस प्रकार के अमेण्डमेण्ट इस हाउस के अन्दर लाना ठीक नहीं है और इनसे हाउस का वक्त बरबाद होता है। मैं बताना चाहता हूं कि इस क्युम्युलेटिव वोटिंग से अब तक जो होता रहा है उसका नतीजा हमारे सामने है। हम बड़े दुख के साथ कहते हैं कि पूना पैक्ट, जिसमें हरिजनों के लिये प्राथमिक चुनाव और क्युम्युलेटिव वोटिंग पद्धति थी और जो अप्रत्यक्ष रूप से सैपरेट इलेक्टोरेट ही था उसका अन्तिम नतीजा यह हुआ कि आज नागपुर और बम्बई में हिन्दुओं के खिलाफ कितना आन्दोलन है और जाति–जाति में मतभेद और झगड़े हैं। क्या मेरे दोस्त नागप्पा और अम्बेडकर इन झगड़ों को बढ़ाना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं? अगर वह मिटाना चाहते हैं तो इस संशोधन को वे वापस ले लें। हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं में झगड़े बढ़ाने में हरिजनों का साथ नहीं है परन्तु हाथ है। मेरे दोस्त नागप्पा और डाक्टर अम्बेडकर के इन विचारों से हरिजन सदा के लिये हरिजन रहेंगे और उनकी हालत दिन पर दिन बुरी होती जायेगी, खासकर ऐसी परिस्थिति में जबकि जाति–जाति में सबकास्ट हैं। हरिजनों में भी कई सबकास्ट हैं और हरिजन एक ही जाति के

[श्री एच.जे. खाण्डेकर]

नहीं हैं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर उनमें 132 जाति हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊंगा कि नागपुर प्रान्त में हरिजनों में महार जाति मैजोरिटी में है। अगर 35 फीसदी वोट का प्रस्ताव पास किया गया तो 3 फीसदी चमार जो नागपुर के अन्दर रहते हैं, वह इस चुनाव के अन्दर कभी नहीं आ सकते हैं। अगर उनका जातिवार चुनाव लड़ा गया तो महार जो 80 फीसदी हैं उनको 35 फीसदी वोट मिलेंगे और चुनकर आयेंगे। जो चमार, भंगी और जितनी दूसरी जातियां हैं, वह इस परसण्टेज से चुनकर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हरिजनों में उनकी संख्या बहुत कम है। और डा. अम्बेडकर के और मेरे जाति के महार जो बम्बई और नागपुर प्रान्तों में अधिक संख्या में हैं, वे ही नागपुर और बम्बई की हरिजन सीटों पर कब्जा कर सकते हैं, दूसरे हरिजन नहीं। इसके अलावा मुझे नागप्पा साहब से प्रार्थना करनी है कि वह इस अमेण्डमेण्ट को वापस ले लें और इसका कारण यह है कि जैसा वह समझते हैं वैसा वह परसण्टेज आफ वोट्स में हरिजनों की भलाई की चीज नहीं है। यह तो बुराई की चीज है। आज हमें इस देश की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हम इस देश के बाशिन्दे हैं और मालिक बन चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर मैजोरिटी कम्युनिटी को हम विश्वास में न लें और मैजारिटी कम्युनिटी हमें विश्वास में न ले ले, तो इस देश का राज ठीक नहीं चल सकता। दोस्तों, इसी हाउस के अन्दर थोड़े दिन पहले हम सब हिन्दू, मुसलमान, हरिजन, सिख, पारसी आदि ने हमारे इस प्यारे तिरंगे झण्डे को आदर से वन्दन किया था और बताया कि हम सब हिन्दुस्तानी हैं और एक हैं। फिर आज हमारा अलग-अलग होने का संशोधन पेश करना बड़ी दुःख की बात है। मैं इस देश में शान्ति बनाये रखने के लिये नागप्पा साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह अमेण्डमेण्ट को वापस ले लें।

***श्रीमती रेणुका रे** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): श्रीमान्, इस अन्त के संशोधन का विरोध करने के लिये मैं उठी हूं। सलाहकार समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके रचयिताओं ने देश के सभी वर्गों को संतुष्ट करने के लिये भरसक प्रयत्न किया है। वास्तव में श्रीमान्, यदि रिपोर्ट में कोई गलती हुई है तो वह तथाकथित अल्पसंख्यकों के प्रति अत्यधिक उदारता दिखाने की दिशा में हुई है। सन्देह और अविश्वास को दूर करने के लिये और सभी की सम्मति से समस्या को हल करने के उद्देश्य से इसमें उन सभी के हितों का ध्यान रखा गया है जिनकी साम्प्रदायिक या धार्मिक भावनायें प्रबल हैं। भले ही उनके इस रुख से राष्ट्र के हितों को हानि होती हो। आखिर श्रीमान्, हमें किसी प्रजातन्त्रात्मक

पार्थिव राज्य में धार्मिक आधार पर निर्मित अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के प्रश्न पर विचार नहीं करना है। हम थोड़े काल के लिये, अगले दस वर्ष तक के लिये, जगहें सुरक्षित करने के लिये राजी हो गये हैं ताकि वे लोग जिनको अपने को भारतीय समझने की क्षमता नहीं है, इस काल में अपनी विचारधारा ठीक कर लें। मुझे इसका आश्चर्य है कि इस संशोधन के प्रस्तावक महोदय ने इसे पेश करने के लिये इतना जोर दिया। सरदार पटेल की भावोत्पादक अपील तथा पंडित पंत की न्यायसंगत तथा विस्तृत व्याख्या के बाद, जिसका उद्देश्य यह दिखाना था कि पृथक निर्वाचक-समूह राष्ट्रहित की दृष्टि से न केवल असंगत है, परन्तु वे उन जातियों का भी अहित करते हैं जिनके लिये वे रखे गये हैं, मेरा यह विचार था कि वे इस संशोधन पर जोर नहीं देंगे। यह पृथक निर्वाचक-समूहों के प्रश्न को उपस्थित करने का वह अप्रत्यक्ष ढंग है जिसे कि सभा ने कल स्वीकार नहीं किया था। श्रीमान्, जब कि धार्मिक भेदभाव की इस कृत्रिम समस्या को, जो मध्ययुग की भावनाओं को प्रतिध्वनित करती है, पृथक निर्वाचक-समूहों जैसी राजनैतिक चालों से हमारे विदेशी शासकों के हित-साधन के लिये प्रोत्साहन दिया गया तथा उसका परिपालन व परिपोषण किया गया, हम असहायावस्था में अलग खड़े होकर केवल सब कुछ देखते रहे। आज हम देखते हैं कि इसके फलस्वरूप हमारा देश विभाजित हो गया है और मेरा अपना तथा अन्य प्रान्त भंग हो गये हैं। हम यह देखते हैं कि जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में बलिदान किया है वे आज भारत के नागरिक नहीं हो सकते। हमें बहुत कटु अनुभव हुआ है। हमने यह सब कुछ इसीलिये सहन किया कि कम से कम शेष भारत में, जो आज हमारे अधिकार में है, हम बिना धार्मिक बातों से अड़ंगा डाले हुये एक प्रजातंत्रात्मक पार्थिव राज्य की स्थापना कर सकेंगे। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है। अंग्रेजों ने भले ही राजनैतिक स्वार्थ-साधन के हेतु धार्मिक भेदभाव से फायदा उठाया हो, परन्तु आज के भारत में इन बातों के लिये कोई स्थान नहीं है। श्रीमान्, हमें जिस समस्या को हल करना है वह धार्मिक आधार पर निर्मित अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यकों की समस्या नहीं है। हमें देश के एक बहुत बड़े बहुसंख्यक समुदाय की समस्या हल करनी है, चाहे उसके लोगों का धर्म जो कुछ भी हो—वह बहुसंख्यक समुदाय जो आज दिन अज्ञान, रोग, क्षुधा तथा दरिद्रता से पीड़ित है—वह पिछड़ा हुआ समुदाय जो वास्तव में बहुसंख्यक है; हमें उसकी समस्या पर विचार करना है। यदि हम इस सभा द्वारा स्वीकृत लक्ष्य-सम्बन्धी-प्रस्ताव और मौलिक अधिकारों को वास्तव में कार्यरूप में लाना चाहते हैं तो हमें इस समस्या को हल करना है। हम अब यह पसन्द नहीं करेंगे कि पृथक निर्वाचक-समूहों के लिये मांग करके या इसी प्रकार की छिपी हुई चालें चलकर मुख्य प्रश्न से हमें पराङ्मुख किया जाये। हम यह

[श्रीमती रेणुका रे]

आशा नहीं कर सकते कि जो लोग पिछड़े हुये हैं वे समान अधिकार लेकर अन्य नागरिकों की तरह सभी कार्यों में भाग लें, जब तक कि हम उन्हें अपने अधिकारों का उत्तरदायित्व समझाने के लिये कार्यवाही न करें। निस्संदेह उन्हें उन्नत बनाने के लिये हमें यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपने सभी साधनों का उपयोग करना चाहिये तथा विधान में भी इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये; परन्तु धार्मिक आधार पर पृथक होने की मनोवृत्ति को मेरे विचार से अब हम सहन नहीं कर सकते। हमने हिन्दुओं के प्रभुत्व का कभी समर्थन नहीं किया और न अब ही करते हैं। हम नहीं चाहते कि हिन्दू धार्मिक समुदाय के रूप में किसी के हितों को हानि पहुंचायें। परन्तु हम यह अवश्य ही चाहते हैं कि भारतवर्ष का हित सर्वोच्च हित समझा जायेगा और उसके साधन के मार्ग में किसी जाति-विशेष के हित बाधा न पहुंचायें, चाहे वे बहुसंख्यक जाति के हित हों या किसी अल्पसंख्यक धर्म-समुदाय के। श्रीमान्, मुझे आशा है कि यह सभा इस संशोधन को अस्वीकार कर देगी और यह अनुभव करेगी कि हम अपने वास्तविक प्रश्नों को ही हल करके उन्नति कर सकते हैं और अन्य राष्ट्रों के बीच भारत को उपयुक्त स्थान प्राप्त करा सकते हैं, ताकि अपने यहां स्थान पाई हुई विभिन्न संस्कृतियों से सम्मिलित अपनी सांस्कृतिक परम्परा का अवलम्बन करके हम सारे संसार की समुन्नति में प्रभावपूर्ण भाग ले सकें।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मि. इब्राहीम ने जो संशोधन पेश किया है उससे कुछ हलचल पैदा हो गई है। मैं यह कहूंगा कि अच्छा तो यह होगा कि हम उस पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करें। पश्चिमी बंगाल की जो महिला महोदया अभी बोलीं, उन्होंने जिस सुन्दर आदर्शवाद को व्यक्त किया उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मैं उनकी तरह ओजस्वी तथा चित्ताकर्षक भाषण देने की आकांक्षा नहीं कर सकता। मेरे विचार से आदर्शवादी होना तो अच्छा है ही, परन्तु यथार्थवादी होना अधिक लाभदायक है। इस समय जो परिस्थिति है उसे मैं किसी प्रकार पसन्द नहीं करता। मैं यह नहीं चाहता कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव हो। मेरा यह विश्वास है कि उच्च वर्गों के बीच श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने में कोई भेदभाव नहीं रहता। परन्तु आखिर हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आदर्शवादी नहीं हैं—ऐसे भी लोग हैं जिनका साम्प्रदायिक दृष्टिकोण है। हम यह देखते हैं कि चुनावों में इसका स्पष्ट उदाहरण मिलता है। अनुभवी लोगों का यह विचार है कि म्युनिसिपैलिटियों के वे दूसरे चुनावों में जिनके लिये संयुक्त निर्वाचक-समूहों की व्यवस्था है, बहुत काल से चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर लड़े जाते रहे हैं। मैं यह कह चुका हूं कि मुझे यह पसन्द नहीं है और कोई भी

समझदार आदमी इसे पसन्द नहीं कर सकता है। परन्तु परिस्थिति पर जैसा कि मैंने कहा है व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना चाहिये और हर-एक चीज को ठीक-ठीक समझना चाहिये। भारतवर्ष में बहुसंख्यक जाति की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? वह लगभग 75 प्रतिशत है और मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 25 प्रतिशत होगी। इस बहुत बड़े अन्तर का अनुभव कराने के लिये मैं यहां के एक सुविख्यात अखबार में निकले हुये एक व्यंग्य-चित्र का वर्णन करूंगा जिसमें प्रख्यात व्यंग्य-चित्र-कलाकार शंकर ने इस सभा में वृहत् हिन्दू जाति या मुसलमानों के प्रति जो रुख है उसे चित्रित किया है। उसने वृहत् हिन्दू जाति को एक हाथी के रूप में उपस्थित किया है जिसका रुख प्रेमपूर्ण है और वह मुस्लिम जाति को चौधरी खलीकुज्जमा की शक्ल के एक कमजोर बालक के रूप में बड़े दुलार से लपेटे हुये है। इसमें मुझे, निस्सन्देह व्यंग्य-चित्र-कलाकार की दृष्टि से, हिन्दुओं की तुलना में मुसलमानों का चित्र मिलता है। इस संशोधन द्वारा जो प्रार्थना की गई है, क्योंकि मैं उसे कोई मांग नहीं कहता, क्या प्रभाव हुआ है? वह यह है कि हिन्दू जाति ने, जिसका सामूहिक स्वरूप एक बड़े भाई का स्वरूप है, उदारता से दस वर्ष के लिये प्रतिनिधियों के लिये जगहें सुरक्षित कर दी हैं और मेरे विचार से यह पर्याप्त समय है। मुझे तो इसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि इस दस वर्ष के समय में महान् हिन्दू जाति मुस्लिम जाति की कठिनाइयों और शिकायतों पर, चाहे वे न्यायोचित हों या न हों, विचार करने के लिये तैयार है। इस 30 प्रतिशत की सीमा के अन्दर कुछ मुसलमान सदस्यों के लिये जगहें सुरक्षित रखने का अर्थ यह है कि धारा-सभा में 25 प्रतिशत मुसलमान आ जायेंगे। कमजोर छोटा भाई अपने बड़े हाथी भाई से किस तरह की बातें कहेगा। उसकी प्रार्थना किस प्रकार की होगी? वह एक अपील होगी। यदि बड़ा भाई छोटे भाई की शिकायतों को सुनेगा तो इन दस वर्षों के समय में इसमें कोई हानि नहीं होगी। ये कठिनाइयां और शिकायतें वास्तविक नहीं हो सकती हैं या बढ़ा-चढ़ाकर कही जा सकती हैं और इसका और कोई कारण न होकर केवल भय और सन्देह हो सकता है। परन्तु मैं नम्रता से पूछता हूं कि इसका क्या प्रभाव होगा—इसका कौन सा भयोत्पादक परिणाम होगा? यदि प्रार्थना तर्कसंगत होगी तो बड़ा भाई अर्थात् स्नेहपूर्ण हाथी उसे स्वीकार कर लेगा और यदि वह तर्कसंगत न होगी तो उसे अस्वीकार कर देगा। केवल यही होगा और कुछ नहीं। मेरे विचार से इस संशोधन को स्वीकार करने का कोई ऐसा भयोत्पादक परिणाम नहीं होगा जिसके बारे में विश्वासपूर्वक भविष्यवाणी की जा रही है। श्रीमान्, मैं फिर यह कहता हूं कि यह इस वृहत् सभा के स्वरूप में अपने बड़े भाई से छोटे भाई की प्रार्थना मात्र है।

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

मैं यह जानता हूं कि इसका निर्णय पूर्वनिश्चित है। यह संशोधन और इसके समर्थन में दिये हुये भाषणों से मुझे उस वकील के तर्क का स्मरण हो जाता है, जो यह अच्छी तरह जानता है कि न्यायाधीश ने फैसला पहले से लिख लिया है और वह उसका तर्क समाप्त होने पर ही सुना दिया जायेगा। इसके बाद जो मतदान होगा उसका नतीजा हम सभी को मालूम है। परन्तु मुझे आशा है कि यदि हमारा संशोधन गिर भी जाये, तो छोटा भाई बड़े भाई के स्नेह को तो न खो बैठेगा।

***अध्यक्षः** मेरे पास कई सदस्यों से इस विषय पर बोलने के बारे में पर्चियां आई हैं और मैं यह देखता हूं कि कई सदस्य खड़े भी हो रहे हैं; परन्तु...

***एक माननीय सदस्यः** अब बहस समाप्त की जाये।

***अध्यक्षः** मेरा भी यह विचार है कि अब काफी बहस हो चुकी है और इसलिये मैं बहस समाप्त करने का प्रस्ताव सभा के सामने रखना चाहता हूं। प्रस्ताव यह है कि यह प्रस्ताव सभा के सामने रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** माननीय प्रस्तावक महोदय अब उत्तर दे सकते हैं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, मुझे खेद है कि इस संशोधन पर इतना समय लग गया है, क्योंकि मैं यह समझता था कि वह वापस ले लिया जायेगा और उस पर अधिक वाद-विवाद न होगा। जहां तक परिगणित जातियों का सम्बन्ध है, मेरे विचार से इस संशोधन के विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सभा में एक या दो या तीन सदस्यों को छोड़कर उनके सदस्यों के एक बहुसंख्यक समुदाय ने मेरे सम्मुख यह मत प्रकट किया कि वे सब इस संशोधन के विरोध में हैं (*वाह, वाह*) और श्री नागप्पा को इसका ज्ञान था। परन्तु श्री नागप्पा इस उद्देश्य से अपना संशोधन पेश करना चाहते थे कि उन्हें अपना वचन पूरा करना है या कम से कम अपनी जाति को यह दिखाना चाहते थे कि उन्होंने बहुसंख्यक जाति के हाथ अपने को बेच नहीं दिया है। उन्होंने अपना काम पूरा किया, परन्तु अन्य लोगों ने उनकी बातों पर गम्भीरता से विचार किया और बहुत-सा समय ले लिया।

जहां तक मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों द्वारा पेश किये हुये संशोधन का सम्बन्ध है, मुझे यह जान पड़ता है कि मेरी धारणा भ्रमपूर्ण थी। यदि मुझे यह मालूम

होता तो मैं निश्चित रूप से किसी प्रकार के संरक्षण के लिये सहमत न होता (*वाह, वाह*)। जब मैं आबादी के आधार पर जगहें सुरक्षित रखने के लिये सहमत हुआ तो मैं इसी ख्याल से राजी हुआ कि मुस्लिम लीग के हमारे मित्र यह समझेंगे कि हमारा दृष्टिकोण कितना तर्कपूर्ण है और देश के विभाजन के उपरांत बदली हुई परिस्थिति के अनुरूप आचरण करेंगे। परन्तु अब मैं यह देखता हूं कि वे उन्हीं तरीकों को अपना रहे हैं जिन्हें उन्होंने उस समय अपनाया था जब कि इस देश में पहले पहल पृथक निर्वाचक-मण्डल जारी किये गये थे। यद्यपि उन्होंने बड़ी मीठी भाषा का प्रयोग किया है, परन्तु जो ढंग उन्होंने अपनाया है वह पर्याप्त मात्रा में विषाक्त है। इसलिये मुझे खेद है कि यद्यपि छोटे भाई का मुझसे प्रेम न रहे परन्तु मैं इसके लिये तैयार हूं, क्योंकि जो तरीका वह अपनाना चाहता है उससे उसकी मृत्यु ही हो जायेगी। उसका प्रेम हो या न हो परन्तु मैं उसे जीवित रखना चाहता हूं। यदि यह संशोधन गिर गया तो छोटे भाई का प्रेमभाव भी न रह जायेगा। परन्तु मैं यह चाहता हूं कि छोटा भाई जीवित रहे ताकि वह यह देख सके कि बड़े भाई का दृष्टिकोण कितना बुद्धिमत्तापूर्ण है और फिर भी उससे प्रेम करना सीखे।

इस युक्ति के पीछे एक इतिहास है और जो लोग कांग्रेस में हैं उनको वह इतिहास स्मरण है। कांग्रेस के इतिहास में यह मुहम्मद अली की युक्ति के नाम से प्रख्यात है। पृथक निर्वाचक-मण्डलों के इस देश में प्रयोग में आने के उपरान्त मुसलमानों के दो दल रहे हैं–एक राष्ट्रीय मुसलमानों अर्थात् कांग्रेसी मुसलमानों का दल रहा है और दूसरा मुस्लिम लीग का अर्थात् मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का दल रहा है। इस सम्बन्ध में काफी तनातनी रही है और एक समय अधिकतर लोग संयुक्त-निर्वाचन-प्रणाली के विरुद्ध हो गये। परन्तु एक समय ऐसा आया, जैसा कि संशोधनकर्ता महोदय ने बताया है कि इलाहाबाद में समझौता हो गया। किन्तु क्या हमने उस समझौते को माना? जी नहीं। आज हमारा देश विभाजित हो गया है। देश का विभाजन रोकने के लिए राष्ट्रीय मुसलमानों ने एक मध्यम मार्ग के रूप में यह युक्ति निकाली जो देश में एकता स्थापित होने तक प्रयोग में रहती, क्योंकि हमारा विचार था कि हम बाद को उसे त्याग देंगे, परन्तु अब देश का विभाजन पूर्ण रूप से हो गया है फिर भी आप कहते हैं कि हम उसी ढंग को फिर अपनायेंगे और एक बार फिर विभाजन करेंगे। प्रेम की यह परिपाटी मेरी समझ में नहीं आती। इसलिये यद्यपि मैं इस प्रस्ताव पर कुछ नहीं कहना चाहता था, परन्तु यह अच्छा ही होगा कि हम एक दूसरे की विचारधारा ठीक-ठीक समझ लें, ताकि हम यह जान सकें कि हम किस स्थिति में हैं। यदि वही ढंग फिर

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

अपनाया गया जो देश के विभाजन के लिये अपनाया गया था, तो मैं यह कहूंगा कि जो लोग इस तरह की बातें चाहते हैं उनके लिये पाकिस्तान में जगह है, यहां नहीं (*हर्ष ध्वनि*)। यहां हम एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और एक ही राष्ट्र की नींव डाल रहे हैं और जो लोग फिर विभाजन करना चाहेंगे और फूट के बीज बोना चाहेंगे उनके लिये यहां कोई जगह नहीं रहेगी। मैं इसे साफ-साफ बता देना चाहता हूं (*वाह, वाह*)। अब यदि आपका यह विचार है कि संरक्षण का अवश्य ही वह अर्थ है जो आपके प्रस्ताविक खण्ड से अभिप्रेत है तो मैं इस संरक्षण को आप ही के फायदे के लिये वापस लेने के लिये तैयार हूं। यदि आप इससे सहमत हैं तो मैं इसके लिये तैयार हूं और मुझे इसका विश्वास है कि यदि आपको इससे सन्तोष होता हो तो इस सभा में कोई भी व्यक्ति इस संरक्षण के वापस लेने के विरोध में न होगा (*हर्ष ध्वनि*)। आप दोनों तरफ से फायदा नहीं उठा सकते। इसलिये मेरे मित्रों, आपको अपना रुख बदलना चाहिये और बदली हुई दशाओं के अनुसार आचरण करना चाहिये। इस प्रकार की बनावटी बातें न कहिये कि ''हमारा तो आपके लिये अत्यन्त प्रेमभाव है,'' हमने आपके प्रेमभाव को देख लिया है। उसकी चर्चा ही क्यों की जाये? हमें इस प्रेमभाव को भूल जाना चाहिये। हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिये। आप अपने से पूछिये कि आप वास्तव में यहां रहकर हमसे सहयोग करना चाहते हैं कि नहीं, या आप फिर फूट के बीज बोने के उपाय काम में लाना चाहते हैं। इसलिये मेरी आपसे यह अपील है और यही अपील है कि आप अपने दिल को बदलिये और सिर्फ जबान ही को न बदलिये, क्योंकि उससे यहां कोई फायदा न होगा। इसलिये मैं आपसे फिर अपील करता हूं, ''मित्रों, आप अपने रुख पर फिर विचार कीजिये और अपने संशोधन को वापस ले लीजिये।'' आप यही क्यों कहते जाते हैं कि ''मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं हुई और मुसलमानों की भावना का आदर नहीं किया गया।'' यदि आप समझते हैं कि इससे आपको कोई फायदा होगा तो आप बहुत गलती पर हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में और वर्तमान वातावरण में मुसलमान अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में मुझे कितना परिश्रम करना पड़ता है। इसलिये मैं यह राय देता हूं कि आप यह न भूलिये कि अब वह दिन नहीं रह गये हैं जब इस प्रकार का आन्दोलन चलाया गया था और अब हम एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिये मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि आप अतीत काल को भूल जाइये। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाइये। आप जो चाहते थे वह आपको मिल गया है। आपका एक अलग राज्य हो गया

है और इसे याद रखिये, आप ही लोग और न कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग उसके लिये जिम्मेदार हैं। आप ही ने आन्दोलन चलाया। आपकी इच्छा पूरी हो गई। अब आप क्या चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्तों में आप ही अल्पसंख्यकों ने आन्दोलन चलाया। आपने देश का विभाजन करा दिया और अब फिर आप मुझसे कहते हैं कि कम से कम छोटे भाई का प्रेम प्राप्त करने के लिये मुझे फिर उसी बात के लिये राजी हो जाना चाहिये, यानी विभाजित भाग का भी फिर विभाजन करना चाहिये। खुदा के लिये यह तो समझिये कि हम भी कुछ समझते हैं। हमें इस चीज को साफ-साफ समझ लेना चाहिये। इसलिये जब मैं यह कहता हूं कि हमें अतीत काल को भूल जाना चाहिये तो मैं यह सच्चे दिल से कहता हूं। आपके लिये कोई अन्याय न होगा। आपके प्रति उदारता दिखाई जायेगी, परन्तु आपकी तरफ से भी यही होना चाहिये। यदि यह न होगा तो आप यह समझ लीजिये कि चाहे कितने ही मीठे शब्द काम में लायें, आप अपने उद्देश्य को न छिपा सकेंगे। इसलिये मैं साफ शब्दों में आपसे यह जोरदार अपील करना चाहता हूं कि हमें अतीत को भूल जाना चाहिये और एक ही राष्ट्र के लोग हो जाना चाहिये।

परिगणित जातियों के मित्रों से भी मैं यह अपील करता हूं कि हमें डा. अम्बेडकर या उनके दल ने जो कुछ किया उसे भूल जाना चाहिये। आपने जो कुछ किया उसे हमें भूल जाना चाहिये। आपकी विचारधारा के अनुसार भी देश का विभाजन होते-होते बच गया और उसके कुफल से आप बच गये। बम्बई में आपने पृथक निर्वाचन-क्षेत्रों के परिणाम को देखा है। जब आपकी जाति का सबसे बड़ा हितैषी बम्बई पधारा और भंगियों की बस्ती में ठहरने के लिये गया तो आप ही के लोगों ने उनके निवासगृह पर पत्थर मारे। वह सब क्या था? वह इसी विष का परिणाम था। मैं इसीलिये इसका विरोध कर रहा हूं कि हिंदुओं में से बहुसंख्यक लोग आपका हित चाहते हैं। उनके बिना आपका क्या हाल होगा? इसलिये उनके विश्वासभाजन बनिये और यह भूल जाइये कि आप परिगणित जातियों के लोग हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि श्री खांडेकर किस प्रकार परिगणित जाति के आदमी हैं। यदि वे और मैं दोनों हिन्दुस्तान के बाहर जायें तो कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि वे परिगणित जाति के आदमी हैं या मैं। हमारे बीच में कोई परिगणित जाति नहीं है। इसलिये परिगणित जाति के उन सदस्यों को समझना चाहिये कि हमारे समाज से परिगणित जाति को बिल्कुल मिटाना है और यदि उसे मिटाना ही है तो वे लोग जो अछूत नहीं रह गये हैं और हमारे बीच बैठते हैं,

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

उन्हें यह भूलना है कि वे अछूत हैं वरना यदि उनमें यह निम्न भाव बना रहा तो वे अपनी जाति की सेवा न कर सकेंगे। वे अपनी जाति की सेवा केवल इसी प्रकार कर सकते हैं कि अब वे यह अनुभव करें कि वे हमारे साथ हैं। वे अब परिगणित जाति के लोग नहीं रह गये हैं और इसलिये उन्हें अपने व्यवहार को बदल देना चाहिये और मैं उनसे अपील करता हूं कि वे अपने और परिगणित जातियों के दूसरे दल के बीच में जो कुछ भी भेदभाव हो उसे मिटा दें। उनके बीच में दलबन्दी है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही प्रकाश से परिश्रम करता है। हमें एक नया अध्याय आरम्भ करना है। इसलिये हमें इन वर्गों और उपवर्गों को भूल जाना चाहिये और हम सबको मिल जुलकर एकनिष्ठ हो जाना चाहिये।

***अध्यक्षः** मुझे पहले श्री नागप्पा के संशोधन को सभा के सामने रखना है।

***श्री एस. नागप्पाः** मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता। मैं उसे वापस लेता हूं।

***अध्यक्षः** क्या सभा उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की आज्ञा देती है?

***माननीय सदस्यः** जी, हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** अब श्री अहमद इब्राहीम बहादुर का संशोधन रह गया है जो इस प्रकार है:

''अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों इत्यादि से सम्बन्धित सलाहकार कमेटी की अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रिपोर्ट पर विचार करने पर विधान-परिषद् की यह बैठक यह निश्चय करती है कि यदि केन्द्रीय और प्रांतीय धारा-सभाओं के चुनाव सभी जातियों के संयुक्त निर्वाचक-समूहों के आधार पर किये जायें और अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रखी जायें तो चुनाव निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिये:

उन उम्मीदवारों में से जिन्होंने अपनी ही जाति को दी हुई वोटों की 30 प्रतिशत वोट प्राप्त की हों, वह उम्मीदवार जिसने निर्वाचकों को संयुक्त सूची में से सबसे अधिक वोट पाई हों निर्वाचित घोषित

किया जायेगा, उस दशा में जब कि कोई भी ऐसा उम्मीदवार न हो, जिसने अपनी जाति द्वारा दी हुई वोटो में से 30 प्रतिशत से कम वोट प्राप्त न की हों तो उन दो उम्मीदवारों में से जिन्होंने अपनी जाति के लोगों द्वारा दी हुई वोटों में से सबसे अधिक वोट पाई हों, वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जायेगा जिसने कुल वोटों में से सबसे अधिक वोट प्राप्त की हों।''

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्षः** अब मैं मूल खण्ड 6 को सभा के सामने रखता हूं।

खण्ड 6 स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 7

***अध्यक्षः** अब हम खण्ड 7 पर विचार करेंगे।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** मैं यह पेश करता हूंः

''7. मतदान की प्रणाली–निर्वाचन-क्षेत्रों के एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं, परन्तु इकट्ठा वोट देने की आज्ञा नहीं होगी।''

एक संशोधन इस आशय का है कि इस प्रस्ताव को नकार में रखने के बजाये इसे निश्चात्मक रूप में रखा जाना चाहिये, अर्थात् यह कि 'मतदान वितरणशील होगा'। वह संशोधन नियमित रूप से पेश होगा और मेरा यह विचार है कि मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। परन्तु मैं इस सभा के माननीय सदस्यों के सम्मुख यह सुझाव रखता हूं कि आज सभा स्थगित करने के पहले हमें इस रिपोर्ट को समाप्त कर देना चाहिये। इसलिये चूंकि इस रिपोर्ट पर पूर्णतया विचार किया जा चुका है और मुख्य-मुख्य बातों को स्वीकार कर लिया गया है। मैं आशा करता हूं कि यदि कोई संशोधन पेश किये जायेंगे तो उन पर लम्बे व्याख्यान न दिये जायेंगे और हम समय नष्ट न करेंगे। मैं इस खण्ड को सभा की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** दो संशोधन हैं, एक श्री केशवराव ने पेश किया है और दूसरा श्री मलिक ने।

(श्री केशवराव और श्री मलिक ने अपने संशोधन पेश नहीं किये)

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास: जनरल): श्रीमान्, मैं यह चाहता हूं कि आप मुझे अपने संशोधन का केवल भाग 2 पेश करने की आज्ञा दें। मैं भाग 1 पेश नहीं करना चाहता। मेरा संशोधन इस प्रकार है:

''मतदान वितरणशील होगा, अर्थात् प्रत्येक मतदाता को उतनी ही वोट देने का अधिकार होगा जितने कि सदस्य हों और उसे एक उम्मीदवार को केवल एक वोट देनी चाहिए।''

यह संशोधन आवश्यक है क्योंकि मैं चाहता हूं कि संयुक्त निर्वाचक-समूहों की प्रणाली से, जिसे कि हमने स्वीकार कर लिया है, हम अधिक से अधिक लाभ उठायें। जब तक कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिये यह आवश्यक न हो जाये कि वह निर्वाचकों के प्रत्येक वर्ग से परिचित हो और एक वर्ग की ओर विशेष ध्यान दे, तब तक पृथक निर्वाचक समूहों की विभीषिका उपस्थित ही रहेगी। मेरे संशोधन का प्रभाव यह होगा कि यदि कोई परिगणित जाति का उम्मीदवार होगा तो वह यह नहीं कह सकेगा कि मैं केवल परिगणित जाति के लोगों की वोटों को इकट्ठा करना चाहता हूं और एक ईसाई उम्मीदवार यह न कह सकेगा कि मैं केवल ईसाइयों की वोटों को इकट्ठा करना चाहता हूं। प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक आदमी से वोट की आकांक्षा करनी होगी। इस सम्बन्ध में अब अधिक न कहकर मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** क्या कोई सदस्य कुछ कहना चाहते हैं?

***श्री डी.एच. चन्द्रशेखरिया** (मैसूर): अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम से जो संशोधन है वह इस प्रकार है:

''(1) इसकी व्यवस्था की जाये कि सभी चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकाकी हस्तांतरित मत पद्धति के अनुसार किये जायें।

(2) यदि उपरोक्त प्रणाली स्वीकार न की जाये, तो एकाकी हस्तान्तरित मत पद्धति की व्यवस्था की जाये।''

रिपोर्ट के पैरा 12 में और तदनुसार परिशिष्ट के पैरा 7 में यह कहा गया है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा-सभाओं के चुनावों में इकट्ठा वोट देने की प्रणाली को प्रयोग में लाने की आज्ञा न दी जानी चाहिये, परन्तु जैसा कि सरदार पटेल जी बता चुके हैं, रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सुझाव नहीं है कि मतदान

किस प्रणाली से लिया जाये। इस कमी को पूरा करने के लिये श्री सन्तानम् ने इस आशय का एक संशोधन पेश किया है कि नये विधान के अन्तर्गत सभी चुनावों में अनिवार्य रूप से वितरणशील मतदान की प्रणाली स्वीकार की जाये। श्रीमान्, अपने संशोधन पर बोलने के पूर्व जिस प्रणली का सुझाव किया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इस इकट्ठा वोट देने की प्रणाली के अनुसार प्रत्येक मतदाता जितनी जगहें खाली हों उतनी वोट दे सकता है, परन्तु उसे अनिवार्य रूप से एक उम्मीदवार को एक ही वोट देनी होती है। कुछ देशों में यह प्रणाली प्रचलित है, परन्तु उसके प्रयोग में आने से उसके कई दोष प्रकट हो गये हैं और इसीलिये कई दार्शनिक और राजनीतिज्ञ उसके विरोधी होते जा रहे हैं, जैसा कि उनके लेखों से ज्ञात होता है। इस प्रणाली के अनुसार केवल बहुसंख्यक दल ही चुनावों में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके स्पष्टीकरण के लिये मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिये कि किसी निर्वाचक-समूह के अधिकार में 100 वोट हैं और यदि किसी दल को 51 वोट प्राप्त हैं तो वह चुनाव में अपने सभी उम्मीदवारों को जिता सकता है और कोई भी दूसरा दल, चाहे उसे 49 वोट प्राप्त हों, नहीं जीत सकता है। इस प्रकार इस प्रणाली से केवल एक ही दल विजयी हो सकता है, और एक ही दल धारा-सभा में आ सकता है, जिससे वह न तो राष्ट्रीय ही कही जा सकती है और न उसमें देश के महत्वपूर्ण हितों और वर्गों का प्रतिनिधित्व ही हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक प्रजातन्त्र प्रतिनिधित्व के आधार पर खड़ा है जिसका अर्थ यह है कि हमारी धारा-सभाओं में देश के लोकमत का लोक प्रतिनिधियों द्वारा पूर्ण प्रदर्शन होना चाहिये। इसलिये प्रस्तावित प्रणाली पर गम्भीर आपत्ति की जा सकती है।

इस प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये इस खण्ड में किसी प्रकार की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है, चाहे वह संक्राम्य मतदान द्वारा हो या असंक्राम्य मतदान द्वारा। मैं इन प्रणालियों का विस्तृत रूप से वर्णन नहीं करूंगा परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि इन दोनों का आधार वैज्ञानिक है और इनका आकार प्रसारशील है, तथा इनके द्वारा बहुसंख्यकों व अल्पसंख्यकों को उनके मतदाताओं की संख्या के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व मिल जाता है। वास्तव में मेरा अपना विचार यह है कि जितनी जल्दी यह साम्प्रदायिकता हमारी राजनीति से निकल जाये उतनी ही जल्दी हमारे देश का हित होगा। परन्तु जब तक साम्प्रदायिक आधार पर अल्पसंख्यक बने हुये हैं तब तक वे उस प्रणाली से भी लाभ उठायेंगे जिसका कि मैं प्रस्ताव कर रहा हूं। जिन अल्पसंख्यकों को

[श्री डी.एच. चन्द्रशेखरिया]

मैंने दृष्टि में रखा है उनका राजनैतिक, आर्थिक तथा प्रादेशिक आधार है। मेरे हृदय में तो यह विचार उठता है कि उपयुक्त तो यह होता कि मतदान की इस प्रथा पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रिपोर्ट के सिलसिले में विचार करने के बजाये संघीय विधान-कमेटी की रिपोर्ट के सिलसिले में विचार किया जाता; क्योंकि यह धारा-सभा में प्रतिनिधित्व सम्बन्धी एक आम विषय है, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय किसी प्रकार का भी क्यों न हो, उसे धारा-सभा में उपयुक्त स्थान मिलना चाहिये। कई देशों में यह प्रणाली प्रचलित है। उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिये कुछ विश्वविद्यालयों से प्रतिनिधि अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं। उत्तरी आयरलैंड में व्यवस्थापिका की दोनों सभाओं के लिये प्रतिनिधि इसी प्रणाली के अनुसार चुने जाते हैं। भारत में भी कुछ चुनावों के सिलसिले में हम इस प्रणाली से परिचित हैं और मुझे बताया गया है कि इस सभा में भी प्रान्तीय धारा-सभाओं से जो सदस्य लिये गये वे अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्राम्य मतपद्धति द्वारा लिये गये। इसलिये एक ऐसी प्रणाली जो न्यायोचित है और सभी के प्रति न्यायकारी है, तथा सभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों को अपने-अपने मतदाताओं की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करती है और धारा-सभा में सभी राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व कराती है, वास्तव में स्वीकार करने योग्य है। इस पर केवल यही आपत्ति की जा सकती है कि यह थोड़ी बहुत पेचीदा प्रणाली है। चूंकि हम इस समय प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में महान् प्रयोग कर रहे हैं, इसलिये मेरे विचार से हमारे लिये कोई भी समस्या ऐसी न होनी चाहिये जिसे हम हल न कर सकें। हमारे देश में 90 प्रतिशत लोग निरक्षर होते हुये भी बिना किसी बड़ी कठिनाई के चुनाव हो रहे हैं और राजनैतिक संस्थाओं का संचालन हो रहा है। इसलिये मेरा विचार यह है कि जन साधारण निरक्षर होते हुये भी अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली अच्छी प्रकार प्रयोग में आ सकती है।

यदि किसी कारण एकल संक्राम्य मतपद्धति अनुपयुक्त समझी जाये तो असंक्राम्य मतदान की दूसरी पद्धति की परख की जा सकती है। इसके अनुसार प्रत्येक मतदाता एक वोट दे सकता है चाहे कितनी ही जगहें खाली हों। इससे यह होगा कि 500 मतदाताओं के किसी निर्वाचन-क्षेत्र में केवल 500 वोट दी जायेंगी। यह प्रणाली पहली प्रणाली की अपेक्षा कम पेचीदा, अधिक सीधी-सादी और हमारे देश के लिये उपयुक्त है। इसमें इकट्ठा वोट देने की प्रणाली के कोई भी दोष न रह जायेंगे। क्योंकि यह राय दी गई है कि यथासम्भव छोटे भाषण दिये जायें, इसलिये

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस उद्देश्य से कि धारा-सभा वास्तव में प्रजातन्त्रीय हो और उसमें देश के सभी महत्वपूर्ण हितों और वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। मैं यह सिफारिश करता हूं कि यह सभा मेरे प्रस्ताव को कृपा करके स्वीकार कर ले।

श्री अजित प्रसाद जैन (संयुक्त प्रान्त: जनरल): श्रीमान् जी, पिछले दो तीन दिन से जो संशोधन पेश हुये हैं उनमें कितनों ही का मतलब यह है कि मुश्तरका चुनाव यानी ज्वाइंट एलेक्टोरेट का जो सिस्टम इस भवन में पेश है उसमें कुछ तब्दीली की जाये।

इस वक्त जो तज़वीज रखी गयी है, उसका मतलब भी वही है। सिंगल ट्रान्स्फरेबल वोट के जरिये जो चुनाव होते हैं, उसमें कुछ छोटे-छोटे ग्रुप या कुछ छोटे-छोटे गिरोह बन जाते हैं और उनको इस बात का अख्तियार होता है कि वह अपने प्रतिनिधि चुन कर भेज सकें। पिछले तजुर्बे ने यह बताया है कि जहां-जहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन सिंगल ट्रान्स्फरेबल वोट का तरीका अख्तयार किया गया है वहां थोड़े से आदमी अपने नुमाइन्दे भेज सकते हैं। जहां मुसलमान या शेड्यूल्ड कास्ट के मेम्बर या दूसरे अल्पमत हैं वहां यह अख्तयार हो जायेगा। इस जरिये से कि वह खाली अपने ही वोट्स से अपने नुमाइन्दों को भेज सकें। इसके बर्खिलाफ मुश्तर्का चुनाव का जो तरीका रखा गया है, इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी हर एक नुमाइन्दे के चुनाव में भाग ले सकें। यानी कोई नुमाइन्दा मुसलमान हो तो उसके चुनाव में हिन्दू और मुसलमान दोनों हिस्सा लें और अगर हिन्दू हो तो उसे भी हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर चुनें। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन सिंगल ट्रान्स्फरेबल वोट्स से यह बात बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि उसमें थोड़े से मुसलमान अपने नुमाइन्दों को चुन सकते हैं और हिन्दू अपने नुमाइन्दे चुन सकते हैं। इसलिये जो मन्शा मुश्तर्का चुनाव का है वह इससे बिल्कुल खत्म हो जाता है।

इस संशोधन का दूसरा हिस्सा यह है कि एक आदमी का सिर्फ एक ही वोट होगा चाहे जितने नुमाइन्दे चुने जाने वाले हों। इसका भी मतलब वही हो जाता है कि मुसलमानों को या शेड्यूल्ड क्लास वालों को इस तरीके से अख्तयार हो जायेगा कि वह खाली अपनी राय से नुमाइन्दे चुन सकें। इसलिये इन दोनों तरमीमों का नतीजा यह होगा कि जो अलाहिदा चुनाव की बुराई को दूर करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है वह दूसरे तरीके से फिर ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अल्पमत वाले यानी शैड्यूल्ड क्लास या मुसलमान या दूसरी जो माइनोरटीज़ हैं,

[श्री अजित प्रसाद जैन]

उनको इस बात का मौका मिलेगा कि वह अपनी जाति के नाम पर अपील करके अपना चुनाव करा सकें और मुश्तर्का चुनाव के जरिये से जो फिजा पैदा करना हम चाहते हैं वह पैदा न हो सकेगी।

इसलिये मैं समझता हूं कि यह तरमीम इस किस्म की तरमीम है जो फिर देश में बंटवारा और चुनावों में गड़बड़ी पैदा करने वाली है, जिसमें वही फिर्केवाराना असर, वही साम्प्रदायिक भाव दुबारा फैलने का भय है, जिसने देश को इतनी हानि पहुंचाई है। मैं इस तरमीम की जो अभी आनरेबुल मेम्बर ने पेश की थी, मुखालिफत करता हूं, क्योंकि इससे हमारे मार्ग, हमारे काम में बहुत मुश्किल पहुंचने का डर है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** मैं नहीं समझता कि मुझे अब कुछ कहने की आवश्यकता है। श्री सन्तानम् ने जो संशोधन पेश किया है, उसे स्वीकार करने का मेरा इरादा है। जो दूसरा संशोधन पेश किया गया है वह हमारी वर्तमान परिस्थिति के उपयुक्त नहीं है क्योंकि अब हम प्रौढ़ मतगणना के आधार पर चुनाव करने का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिससे करोड़ों निरक्षर लोग मतदाताओं की सूची में सम्मिलित हो जायेंगे। ऐसी दशा में जिस पेचीदी प्रणाली का सुझाव दिया गया है वह बहुत ही अनुपयुक्त होगी। इसलिये उसे स्वीकार करने का मेरा इरादा नहीं है। मैं उसका विरोध करता हूं और खण्ड को सभा की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** श्री सन्तानम् का जो संशोधन स्वीकार कर लिया गया है वह इस प्रकार है:

''मतदान वितरणशील होगा अर्थात् प्रत्येक मतदाता को उतनी ही वोट देने का अधिकार होगा, जितने कि सदस्य हों और एक उम्मीदवार को केवल एक वोट देनी चाहिए।''

मैं यह समझता हूं कि इसे स्थान दिया गया है...।

श्री के. सन्तानम्: इकट्ठा वोट देने के बारे में बाद के भाग की जगह इसको स्थान दिया गया है।

***अध्यक्षः** संशोधित पैराग्राफ 7 पर अब मतदान लेना है। प्रस्ताव यह है कि:

''निर्वाचन-क्षेत्रों के एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं परन्तु मतदान वितरणशील होगा, अर्थात् प्रत्येक मतदाता को उतनी ही वोट देने का अधिकार होगा जितने कि सदस्य हों और एक उम्मीदवार को एक वोट देनी चाहिए।''

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 8

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** यह मद मंत्रिमंडलों में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में है। मैं इसे पेश करता हूं:

''8. अल्पसंख्यकों के लिये कोई संरक्षण नहीं होगा। (क) मंत्रिमंडलों में अल्पसंख्यकों के लिये कानून द्वारा कोई जगहें सुरक्षित न रखी जायेंगी, परन्तु सन् 1935 ई. के भारत सरकार के कानून के अधीन गवर्नरों को जारी किये हुये आदेश-पत्र के पैराग्राफ 7 के अनुरूप एक प्रथा की व्यवस्था विधान के परिशिष्ट में की जायेगी।''

इसे सलाहकार समिति में सभी अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों के सभी प्रतिनिधियों ने एकमत से स्वीकार किया था। मुझे आशा है कि सभा इसे स्वीकार कर लेगी। सन् 1935 ई. के भारत सरकार के कानून में जो आदेश है, यह बिल्कुल उसी की प्रतिलिपि है।

(सर्वश्री एस. नागप्पा, तजम्मुल हुसैन और वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***श्री डी.एच. चन्द्रशेखरियाः** अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैं पेश करना चाहता हूं, वह इस प्रकार है:

''भारत सरकार के सन् 1935 ई. के कानून के अधीन प्रान्तों के गवर्नरों को जारी किये हुये आदेश-पत्र के पैराग्राफ 7 को, जिसका कि

[श्री डी.एच. चन्द्रशेखरिया]

अनुकरण करने का अब विचार है, इस प्रकार संशोधित किया जाये कि अन्य लोगों के साथ मंत्रिमंडल के लिये संघ में सम्मिलित रियासतों के प्रतिनिधि भी चुने जा सकें।''

साम्प्रदायिक आधार पर निर्मित अल्पसंख्यक समुदायों के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया गया है कि आदेश-पत्र के पैरा 7 का अनुकरण किया जायेगा। जैसा कि मैं अन्य प्रसंग में कह चुका हूं कि मेरी दृष्टि में केवल वे अल्पसंख्यक समुदाय नहीं हैं, जिनका स्वरूप साम्प्रदायिक या धार्मिक है; बल्कि ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं जिनका आधार अन्य प्रकार का है।

***श्री के.एम. मुन्शी:** मुझे एक व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति करनी है। यह अल्पसंख्यकों की कमेटी की रिपोर्ट है और हम केवल अल्पसंख्यकों पर विचार कर रहे हैं, न कि रियासतों पर।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** रियासतें बहुसंख्यक हैं। रियासतें तो 500 हैं और हमारा तो केवल एक ही राज्य है।

***श्री डी.एच. चन्द्रशेखरिया:** क्या इस व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति के बारे में मैं एक शब्द कह सकता हूं? अल्पसंख्यकों की कमेटी की रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है कि उसमें किस प्रकार के अल्पसंख्यकों का वर्णन है। इससे किसी प्रकार के अल्पसंख्यक समुदाय का बोध हो सकता है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** आपका समुदाय तो बहुसंख्यक है।

***अध्यक्ष:** वास्तव में आप अल्पसंख्यकों के रूप में रियासतों के प्रश्न को यहां नहीं उठा सकते। अल्पसंख्यक का अर्थ साधारणतया साम्प्रदायिक अल्पसंख्यक या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक या जातीय अल्पसंख्यक होता है ।

***श्री डी.एच. चन्द्रशेखरिया:** यदि इस रिपोर्ट में केवल साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है तो मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है।

***अध्यक्ष:** सारी रिपोर्ट अल्पसंख्यकों के बारे में है और इसका वर्णन आप परिशिष्ट में पायेंगे। रिपोर्ट में जिन साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई अल्पसंख्यकों का प्रश्न नहीं उठता।

***मौलाना हसरत मोहानी:** आप अपनी जनसंख्या के अनुपात के बारे में सोच रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम जातियों और राष्ट्रों की कल्पना कर रहे हैं। क्या आप किसी राजनैतिक दल के बारे में नहीं सोच सकते? इसलिये मैं यह आपत्ति करता हूं कि अल्पसंख्यकों के बारे में यह सारी रिपोर्ट एक गलत सिद्धान्त पर आधारित है। इसमें राजनैतिक दलों का उल्लेख होना चाहिये और उन दलों का उल्लेख न होना चाहिये जिनका आधार धर्म है। यह सारी रिपोर्ट बेकार है। इन सब संशोधनों पर विचार करके आप अपनी शक्ति व अपना समय नष्ट कर रहे हैं। जब आप इस रिपोर्ट को इसके अन्तिम रूप में सभा के सामने रखेंगे तो मैं यह आपत्ति करूंगा। श्रीमान्, मैं तो यह कहता हूं कि यह सारी की सारी फिजूल और बहुत ही अनर्गल है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** इस खण्ड में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है। मि. हसरत मोहानी की बातें मैं नहीं समझ पाया हूं।

***श्री एम.एस. अणे** (दक्षिणी रियासतें): श्रीमान्, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप माननीय सदस्य से यह कहें कि वे 'अनर्गल' शब्द को वापस लें। उससे इस सभा का अपमान होता है। वह सभा में कहे जाने योग्य नहीं है।

***अध्यक्ष:** क्या आपने 'बहुत ही अनर्गल' शब्द कहे?

***मौलाना हसरत मोहानी:** जी हां, मैंने यह कहा कि यह बहुत ही अनर्गल है।

***अध्यक्ष:** आप उन शब्दों को वापस लीजिये।

अब मैं खण्ड 8 पर मतदान लूंगा।

खण्ड 8 स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 9

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

''9. सभी अल्पसंख्यकों को उचित भाग का आश्वासन दिया जाता है: अखिल भारतीय और प्रान्तीय नौकरियों के लिये नियुक्तियां करते समय शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता का ध्यान रखते हुए सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दृष्टि में रखा जायेगा।''

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

इस खण्ड को इसलिये स्थान दिया गया है कि नौकरियों में अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके, परन्तु इसका भी ध्यान रखा जायेगा कि शासन के समुचित संचालन में कोई अन्तर न पड़े। इसको ध्यान में रखते हुये सरकार अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व कराने की व्यवस्था करेगी। मैं इस प्रस्ताव को सभा की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

(मि. तजम्मुल हुसैन ने अपना संशोधन पेश नहीं किया।)

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): श्रीमान्, मेरा संशोधन बहुत ही निर्दोष है और उससे कोई हानि भी नहीं हो सकती है। मैं सभा से केवल यह प्रार्थना करता हूं कि ''आश्वासन दिया जाता है'' शब्द जो कि वाक्य के आरम्भ में हैं, निकाल दिये जायें। उससे सभी अल्पसंख्यकों को आश्वासन मिल जायेगा।

***माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रासः जनरल): श्रीमान्, मुझे एक व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति करनी है। यह संशोधन केवल हाशिये में दिये हुये शीर्षक से सम्बन्ध रखता है। साधारणतया हम हाशिये में लिखी हुई बातों में संशोधन नहीं करते हैं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** इस संशोधन का प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है।

***श्री महावीर त्यागीः** यह शब्द आपत्तिजनक है, क्योंकि रिपोर्ट के पैराग्राफ 14 में यह कहा गया है कि हमारे सामने यह प्रस्ताव रखा गया था कि सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक जातियों का उनकी जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व कराने के लिये वैधानिक रूप से आश्वासन दिया जाना चाहिये। हम किसी भी ऐसे विधान से परिचित नहीं हैं जिसमें इस प्रकार का आश्वासन दिया गया हो। उस समय ''आश्वासन दिया जाता है'' शब्दों पर आपत्ति की गई थी, परन्तु यहां ये किसी प्रकार फिर आ गये हैं। यदि इन शब्दों को हम शीर्षक से भी निकाल दें तो यह अच्छा ही होगा।

***अध्यक्षः** ये शीर्षक से निकाले जा सकते हैं, जो फिर ''सभी अल्पसंख्यकों के लिये उचित भाग'' हो जायेगा।

***श्री महावीर त्यागी:** 'यदि आश्वासन दिया जाता है' शब्द निकाल दिये जायें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** मेरे लिये तो ये शब्द वर्तमान ही नहीं हैं।

***श्री महावीर त्यागी:** मैं आशा करता हूं कि वे अन्य लोगों के लिये भी वर्तमान नहीं हैं। मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता हूं।

(श्री पी. कक्कन और श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***श्री चन्द्रिका राम** (बिहार: जनरल): मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं अपना संशोधन पेश करना नहीं चाहता हूं, परन्तु उसे वापस लेते हुये मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** संशोधन वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वह पेश नहीं किया गया है। परन्तु यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु संक्षेप में कहियेगा।

श्री चन्द्रिका राम: सभापति जी, शुरू में जब यह बात तय हुई तो एडवाइज़री कमेटी में बहुत काफी डिस्कशन हुआ और हम लोग फील करते थे कि हम लोगों का रिजरवेशन प्रोविन्सेज की सर्विस के लिए होना चाहिये था। आपस में डिस्कशन होने के बाद हमारे कुछ आनरेबिल मेम्बरों ने कहा कि सरदार से इस बात को हम लोग डिस्कशन करें और मेन आइटम के नीचे नोट है। इस पर हमने यह उचित समझा कि प्रोविन्शियल सर्विस के लिए हम लोगों के लिए स्टेच्यूटरी प्रोवीजन होना चाहिये। सेन्टर में हमें जरूरत नहीं, क्योंकि सेन्टर में आज भी हमारी सर्विसेज ठीक होती हैं। लेकिन जहां तक प्रोविन्सेज का सवाल है वहां उनको इग्नोर किया जाता है। उदाहरण के लिये हमें पता है कि यू. पी. में हमारी संख्या 25 प्रतिशत से अधिक है और अखबारों से जो पता चला है और रिपोर्ट आई है, उसमें केवल 10 प्रतिशत रिजर्वेशन है। प्रोविन्सेज की सर्विसेज में यह काफी इग्नोर किये जाते हैं और हम चाहते हैं कि सरदार साहब से यह आश्वासन मिले कि प्रोविन्सेज में जैसा वह सेन्टर में कर रहे हैं, पौपुलेशन बेसिस पर सर्विस मिले। क्योंकि लिखने पढ़ने में या शिक्षा में रुपया-पैसा खर्च करने के कोई माने

[श्री चन्द्रिका राम]

न होंगे।; अगर हमें सर्विसेज न मिलें। यह बहुत इम्पौरटेंट चीज है। इस पर मैं इन्सिस्ट नहीं करता कि मैं यह अमेंडमेंट पेश करता हूं। लेकिन मैं सरदार से, जो इस क्लाज के मूवर हैं, मैं आश्वासन चाहता हूं कि पूरा प्रोटेक्शन रहेगा और जितना इस क्लाज में लिखा गया है, इसके लिये कान्स्टीट्यूशन में कहीं न कहीं जगह मिलेगी। मैं इन दो शब्दों के साथ अमेंडमेंट को विड्ड्रा करता हूं।

***अध्यक्षः** इसमें कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है। केवल श्री चन्द्रिका राम ने एक प्रश्न पूछा है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्री चन्द्रिका राम केवल एक प्रकार का आश्वासन चाहते हैं। मैं केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि अल्पसंख्यकों की कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई तो अल्पसंख्यकों के लिये सभी कुछ ठीक हो जायेगा।

***अध्यक्षः** मैं खंड 9 पर मतदान लेता हूं।

खंड 9 स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 10

***अध्यक्षः** अब हम खंड 10 को उठायेंगे।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** इस खंड में आप देखेंगे कि सलाहकार समिति ने उन रियासतों पर विचार करने के लिये एक उपसमिति नियुक्त की, जिनका उपभोग एंग्लो इंडियन जाति करती रही है। समिति ने, जिसके सदस्यों के यहां नाम दिये गये हैं, एकमत से एक रिपोर्ट तैयार की और मैं आपसे उस रिपोर्ट की ओर ध्यान देने को कहता हूं। उसी कमेटी की सिफारिशों को मैं एक प्रस्ताव के रूप में पेश करूंगा। आप देखेंगे कि पैराग्राफ 2 का एक भूमिकात्मक भाग है, जिसमें इन रियायतों के पूर्व इतिहास का वर्णन है और खंड 1 वास्तविक प्रस्ताव है। प्रस्ताव खंड (1) से आरम्भ होता है:

''(1) संघीय विधान के प्रयोग में आने के दो वर्ष बाद तक रेलवे, डाक और तार-विभाग तथा कर-विभाग में एंग्लो इंडियनों को भर्ती करने का जो आधार है वह उसी प्रकार रहेगा। उसके बाद हर दो वर्ष बाद सुरक्षित जगहें प्रत्येक बार दस प्रतिशत कम कर दी

जायेंगी, लेकिन इससे एंग्लो इंडियनों को सुरक्षित जगहों के अतिरिक्त अन्य जगहों को प्राप्त करने में कोई बाधा न होगी; परन्तु शर्त यह है कि वे अन्य जातियों के लोगों के साथ खुली प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता का प्रमाण दें। इससे इन विभागों में या ऐसे अन्य विभागों में जहां उनके लिये जगहें सुरक्षित न रखी गई हों, योग्यता के आधार पर नियुक्त होने में भी कोई बाधा न होगी।

(2) संघीय विधान के प्रयोग में आने के दस वर्ष बाद इस प्रकार का संरक्षण पूर्णतया समाप्त कर दिया जायेगा।

(3) दस वर्ष के बाद इन नौकरियों में किसी जाति के लिये कोई संरक्षण न होगा।''

यह प्रस्ताव का पहला भाग है। दूसरा भाग शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में है। मैं पहले भाग को पेश करूंगा। मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि सलाहकार समिति के सदस्यों और एंग्लो इंडियन जाति के बीच इस सम्बन्ध में समझौता हो गया है। इस निर्णय को सभी ने एकमत से स्वीकार किया है और मुझे आशा है कि यह सभा इसे व्यावहारिक रूप देगी।

***अध्यक्षः** क्या कोई सदस्य इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं?

(कोई भी सदस्य बोलने के लिये नहीं उठे।)

***अध्यक्षः** मैं अब इस प्रस्ताव पर मतदान लूंगा।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** एंग्लो इंडियनों के लिये विशेष शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं:

''इस समय भारत में एंग्लो इंडियनों के लगभग 500 स्कूल हैं। इनकी सरकारी आर्थिक सहायता के रूप में जो कुल रकम दी जाती है, वह लगभग 45 लाख रुपया है, जो स्कूलों के खर्च का लगभग 24 प्रतिशत है। हम यह अनुभव करते हैं कि इस आर्थिक सहायता को एकबारगी कम कर देने से इन स्कूलों को आर्थिक स्थिति

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

गम्भीर संकट में पड़ जायेगी और यह कि इनको धीरे-धीरे ही इसी प्रकार के अन्य स्कूलों के स्तर में लाया जाये ताकि इनको देश की परिवर्तित स्थिति के अनुसार अपनी हालत ठीक करने का समय तथा अवसर मिल जाये। हम यह अनुभव करते हैं कि इस प्रकार इन संस्थाओं से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लाभ हो सकता है और न केवल एंग्लो इन्डियन जाति के लोगों की बल्कि सारे राष्ट्र के लोगों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। इसलिये हम यह सिफारिश करते हैं कि

(1) एंग्लो इन्डियनों की शिक्षा के लिये इस समय केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें जो आर्थिक सहायता दिया करती हैं वे संघीय विधान के प्रयोग में आने के तीन साल बाद तक उसी प्रकार दी जाती रहें।

(2) पहले तीन वर्षों के समाप्त होने पर आर्थिक सहायता में 10 प्रतिशत की कमी कर दी जाये और छठे वर्ष के अन्त में फिर 10 प्रतिशत की कमी कर दी जाये और नवें वर्ष के अन्त में फिर 10 प्रतिशत की कमी कर दी जाये। दस वर्ष समाप्त होने पर एंग्लो इन्डियन स्कूलों को जो विशेष सुविधाएं दी जाती हों उनका अन्त हो जायेगा।

(3) इन दस वर्षों की अवधि में सरकारी सहायता पाने वाले ऐसे सभी एंग्लो इंडियन स्कूलों में खाली जगहों में से 40 प्रतिशत अन्य जातियों के लोगों को दी जायेंगी।

इस रिपोर्ट में 'एंग्लो इंडियन' शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जिस अर्थ में वह भारत सरकार के सन् 1935 ई. के कानून में प्रयोग में लाया गया है।''

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी समझौता हुआ है और इसे सलाहकार समिति और उस समिति के एंग्लो इंडियन सदस्यों ने एकमत से स्वीकार किया है। इसलिये मुझे आशा है कि यह सभा इस समझौते को व्यवहार में लाने की आज्ञा देगी।

***अध्यक्ष:** क्या कोई सदस्य इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं?

(कोई भी सदस्य बोलने के लिये नहीं उठे।)

***अध्यक्षः** तब इस पर मैं मतदान लूंगा।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खंड 11

***अध्यक्षः** अब हम खण्ड 11 को लेते हैं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** खण्ड 11 इस प्रकार है:

''संघीय तथा प्रान्तीय धारासभाओं को इसकी सूचना देने के लिये कि अल्पसंख्यकों के लिये रखे हुए संरक्षण किस प्रकार प्रयोग में आ रहे हैं, अध्यक्ष द्वारा केन्द्र में और गवर्नरों द्वारा प्रान्तों में एक अफसर नियुक्त किया जायेगा।''

यह केवल शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था है और मुझे आशा है कि सभा इसे स्वीकार कर लेगी।

***अध्यक्षः** इसमें कुछ संशोधन पेश किये गये हैं।

(श्री महावीर त्यागी और मि. तजम्मुल हुसैन ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***अध्यक्षः** और कोई संशोधन नहीं है। क्या कोई सज्जन इस पर कुछ कहना चाहते हैं?

(कोई भी सदस्य बोलने के लिये नहीं उठे।)

***अध्यक्षः** तब मैं इस पर मतदान लूंगा।

खंड 11 स्वीकार कर लिया गया।

खंड 12

***अध्यक्षः** अब हम खण्ड 12 उठाते हैं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''12–एक कानून द्वारा स्थापित कमीशन के संगठन के लिये भी व्यवस्था की जायेगी जो सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं की जांच करेगा, उनकी कठिनाइयों पर विचार करेगा

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

और संघीय या प्रादेशिक सरकार से, जैसी भी दशा है, सिफारिश करेगा कि इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जाये और उनको किस प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाये और इस आर्थिक सहायता को देने के लिये क्या शर्तें लगाई जायें।''

पीड़ित तथा पिछड़े हुए वर्गों के लिये यह भी एक शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था है। मुझे आशा है कि सभा इसे स्वीकार कर लेगी।

***अध्यक्षः** इसमें कुछ संशोधन पेश किये गये हैं।

(मि. तजम्मुल हुसैन, श्री पी. कक्कन, श्री एच.वी. पातस्कर और श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले ने अपने संशोधनों को पेश नहीं किया।)

***अध्यक्षः** अब और कोई संशोधन नहीं है।

मैं खंड 12 पर मतदान लेता हूं।

खंड 12 स्वीकार कर लिया गया।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, अब सभी मदों पर विचार हो चुका है और स्वीकृत संशोधनों तथा प्रस्तावों से संशोधित इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाये।

***मौलाना हसरत मोहानीः** श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि सारी रिपोर्ट पर अपना मत प्रकट करने के लिये मुझे अवसर दिया जाये।

***अध्यक्षः** अब हमने परिशिष्ट के प्रत्येक खंड पर विचार कर लिया है और यह रिपोर्ट निस्संदेह उस हद तक परिवर्तित समझी जायेगी, जिस हद तक इसमें सभा के प्रस्तावों द्वारा परिवर्तन हुआ है।

अब प्रस्ताव यह है कि यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाये। क्या इस प्रस्ताव को सभा के सामने रखने की आवश्यकता है?

***श्री के.एम. मुंशीः** श्रीमान्, यह विधान-परिषद् की सलाहकार समिति की रिपोर्ट है और यह कोई रिपोर्ट का मसविदा नहीं है जिसे कि विधान-परिषद् ने स्वीकार

करना हो। इसलिये मेरी राय से इस रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे हम वास्तव में सलाहकार समिति से बलपूर्वक इन शब्दों को कहलाना चाहेंगे। नियमित रूप से यह हुआ है कि रिपोर्ट पर विचार हो गया है। चूंकि सभा ने यह निश्चय किया कि इस रिपोर्ट पर विचार किया जाये, इसलिये इस रिपोर्ट में जिन निर्णयों को स्थान दिया गया है और उनको परिशिष्ट में भी स्थान दिया गया है उन पर विचार किया गया। उन निर्णयों को सभा ने संशोधित रूप में रख दिया। इसलिये श्रीमान्, मेरी राय से सारी रिपोर्ट पर निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सलाहकार समिति की रिपोर्ट है और इसी रूप में रहनी चाहिये। रिपोर्ट में कुछ संशोधनों की राय दी गई है परन्तु मैं यह कहूंगा कि वे अप्रासंगिक हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट को विधान-परिषद् तभी स्वीकार कर सकती है जब वह विधान-परिषद् की रिपोर्ट के रूप में अन्य लोगों या संसार के लोगों के पास भेजी जा रही हो। इसलिये श्रीमान्, मेरी यह राय है कि चूंकि सभा ने निर्णयों को नियमित रूप से संशोधित कर दिया है, इसलिये रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ न किया जाना चाहिये। मेरी यही मत है।

***पं. लक्ष्मीकांत मैत्र:** इसका क्या प्रमाण है कि सभा ने रिपोर्ट पर विचार कर लिया है?

***श्री के.एम. मुंशी:** श्री मैत्र कहते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि सभा ने रिपोर्ट पर विचार कर लिया है। एक प्रस्ताव इस आशय का सभा ने नियमित रूप से स्वीकार कर लिया था कि वह इस रिपोर्ट पर विचार करती है। फिर उसने परिशिष्ट उठाया। परिशिष्ट में ऐसे निर्णयों का वर्णन है जो प्रयोग में आयेंगे और जिनको रिपोर्ट में स्थान दिया गया है। उनको या तो बदल दिया गया है या स्वीकार कर लिया गया है। परन्तु इस सभा के सम्मुख रिपोर्ट को पेश करने के लिये सलाहकार समिति ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनको हम नहीं बदल सकते। वह यहां पेश की गई और यहीं बात खत्म हो गई।

***पं. लक्ष्मीकांत मैत्र:** इस सम्बन्ध में कुछ दर्ज होना चाहिये कि सभा ने रिपोर्ट को कुछ संशोधनों इत्यादि के साथ स्वीकार कर लिया है।

***श्री के.एम. मुंशी:** निर्णयों का कुछ अंश स्वीकार कर लिया गया है और कुछ संशोधित कर दिया गया है और रिपोर्ट सभा के सामने रखी जा चुकी है। मैं व्यवस्था सम्बन्धी यह बात कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट में न तो नये पैराग्राफ

[श्री के.एम. मुंशी]

जोड़े जा सकते हैं और न उसमें से कुछ निकाला जा सकता है, क्योंकि यह रिपोर्ट सभा को पेश की गई है और इसके निर्णयों को या तो सभा ने नियमित रूप से स्वीकार किया है या उनमें परिवर्तन किया है। इसलिये यह रिपोर्ट इसी प्रकार रहेगी। यह श्रीमान्, एक महत्वपूर्ण व्यवस्था सम्बन्धी बात है। मैं इस सम्बन्ध में आपका निर्णय चाहता हूं, क्योंकि पिछले दिनों में हम यह कहते रहे हैं कि रिपोर्ट को या तो स्वीकार किया जाना चाहिये या इसमें परिवर्तन किये जाने चाहियें या इसमें नये पैराग्राफ जोड़े जाने चाहियें। यह एक बहुत ही गलत तरीका है क्योंकि आप किसी कमेटी की रिपोर्ट को नहीं बदल सकते हैं। यह सभा कोई अपील सुनने की अदालत नहीं है। यह केवल एक रिपोर्ट है, जिसको विचारार्थ सभा के सम्मुख रखा गया है।

***मौलाना हसरत मोहानी:** मैं इस रिपोर्ट में न कुछ जोड़ना चाहता हूं और न कुछ इससे निकालना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कभी मैं कोई बात कहने के लिये उठता हूं, श्रीमान्, आप यह कहते हैं कि इसके लिये यह अवसर नहीं है। मैं यह कहता हूं कि यह सारी रिपोर्ट मतदान के लिये सभा के सामने रखी जाये। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसे कहने का मुझे अवसर कब मिलेगा जब कि मैं सारी ही चीज के विरोध में हूं?

***अध्यक्ष:** शांति, शांति। मुझे खेद है कि आपने वह अवसर खो दिया। जब यह प्रस्ताव किया गया कि इस रिपोर्ट पर विचार होना चाहिये। उस समय आप जो कुछ कहना चाहते थे, कह सकते थे और वही उसके लिये ठीक समय था। शायद उस समय आप सभा में उपस्थित नहीं थे।

***श्री आर. के. सिधवा** (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): व्यवस्था सम्बंधी बात यह है कि हमने रिपोर्ट पर विचार करने के लिये सभा से मतदान लिया और फिर प्रत्येक खंड में पेश किये हुए संशोधनों पर विचार किया। बराबर इसी प्रथा का अनुसरण किया जाता है कि खंडों का संशोधन हो जाने के बाद और विचाराधीन रिपोर्ट समाप्त हो जाने पर उसे उसके संशोधित रूप में स्वीकृति के लिये सभा के सामने रखा जाता है। श्रीमान्, इसी प्रथा का बराबर अनुसरण किया जाता है। इसलिये अब यह प्रस्ताव किया जाना चाहिये कि यह रिपोर्ट अपने संशोधित रूप में स्वीकार की जाये। यही न्यायोचित परिषदात्मक प्रणाली है।

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट के पैराग्राफों के मसविदों के सम्बंध में प्रस्तावों की सूचना दी गई है। उन प्रस्तावों का आधार बिल्कुल भिन्न है, चाहे, उन पर विचार हो या वे वापस के लिये जायें या सारी रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाये।

***अध्यक्षः** आप इस समय विशेष रूप से किस मद के बारे में विचार कर रहे हैं?

***मौलाना हसरत मोहानीः** मैं उस खंड की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें साम्प्रदायिक आधार पर जगहों के संरक्षण की व्यवस्था है। मैं यह कहता हूं कि यह सारी प्रणाली गलत है, सिवाय उस खंड के जिसमें जगहों के संरक्षण और साम्प्रदायिक आधार पर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। मैं और किसी का जिक्र नहीं करना चाहता। क्या आप मुझे चन्द मिनट देंगे?

***अध्यक्षः** जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, आपने इसके लिये अवसर खो दिया है।

***श्री एस. राधाकृष्णन्** (संयुक्त प्रांतः जनरल): यह बिल्कुल सच है कि हम उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जिसे कि सलाहकार समिति ने हमारे पास भेजा है। परिशिष्ट में कुछ खंडों का हमने संशोधन किया है और ये संशोधित खंड हमारे निर्णयों को व्यक्त करते हैं। जिन निर्णयों पर हम पहुंचे हैं उनका वर्णन करते हुए हम भूमिका के रूप में एक या दो वाक्य इस उद्देश्य से जोड़ सकते हैं कि ''एक सुव्यवस्थित प्रजातंत्रात्मक पार्थिव राज्य की स्थापना हो, राज्य के अंदर अल्पसंख्यकों को पृथक रखने के लिये अभी तक जो उपाय काम में लाये गये हैं उनको त्याग दिया जाये और एक ही राष्ट्रवादी राज्य के प्रति निष्ठा रखी जाये। यह तो सर्वमान्य लक्ष्य होना ही चाहिये परन्तु हम अपने निकट भूतकाल की उपेक्षा नहीं करना चाहते। इसलिये दस वर्ष के समय के लिये निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं जिनसे कि अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण मिल जायेगा।'' अपने निर्णयों को उपस्थित करने से पहले हमें भूमिका के रूप में कुछ वाक्य जोड़ देने चाहियें और इस सभा में यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इन अल्पसंख्यकों को निरंतर बनाये रखा जाये। हमें राज्य में विध्वंसात्मक शक्तियों का अन्त कर देना चाहिये। हमारा आदर्श क्या है? हमारा आदर्श यह है कि हम एक सुव्यवस्थित प्रजातंत्र राज्य की स्थापना करें। इसी कारण हमने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है और सरकारी नौकरियों में हमने किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखा है। और हम यह कहते हैं कि हमारा राज्य पार्थिव राज्य है। यदि आप इसे इस्लामी, हिंदू या ईसाई राज्य बनायें, तो अन्य धर्मों के अनुयायियों को अपने सम्बंध में चिन्ता होने लगेगी। इसलिये हमें अपने इस लक्ष्य की घोषणा कर देनी चाहिये कि

[श्री एस. राधाकृष्णन्]

हमारी इच्छा यही है कि इस देश में एक सुव्यवस्थित प्रजातंत्रात्मक पार्थिक राज्य की स्थापना हो और अभी तक समाज के विभिन्न वर्गों को पृथक रखने के लिये जो उपाय काम में लाये गये थे उनका अन्त किया जाये। यदि हम यहां समझौते की किसी व्यवस्था को स्थान देना चाहते हैं तो वह केवल इस कारण कि भूतकाल को भी ध्यान में रखना चाहते हैं। हमें अपने आदर्श और वास्तविक परिस्थितियों के बीच के मार्ग का अवलम्बन करना है। ये रियायतें केवल दस वर्ष के लिये रहेंगी। इससे हमने जो सिफारिशें की हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। केवल दो वाक्यों का प्रयोग करके हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमारे आधारभूत सिद्धांत क्या हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक राज्य एक लक्ष्य को सामने रख कर चलता है चाहे वह सोवियत राज्य हो या नाजी राज्य हो या अमेरिकन राज्य। हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हम इन अल्पसंख्यकों को सारे देश में पृथक वर्गों के रूप में रखना चाहते हैं? क्या इससे अभी तक जो नुकसान हमने उठाया है वह काफी नहीं है? क्या पंजाब की दु:खद घटनायें पृथक्करण की मनोवृत्ति और जान-बूझकर सिद्धांतों की उपेक्षा करने से ही घटित नहीं हुई है? यह कोई ईश्वरीय कार्य नहीं है किन्तु केवल मानवीय कार्य ही है। आपने देखा होगा कि आजाद हिंद फौज या भारतीय सेना में जहां हमने एक ही राज्य के प्रति निष्ठा रखने का प्रयत्न किया, हम सफल हुए और जहां हमने किसी राज्य के विघटन के लिये प्रयत्न किया, वहां भी हम सफल हुये। इसलिये अब इसका समय आ गया है कि हम विध्वंसात्मक मनोवृत्ति का अन्त कर दें और इससे अप्रेरित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सचेष्ट हों और यह कह दें कि हमारी इच्छा यह नहीं है कि इन अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के ही रूप में बनाये रखें। मध्यम मार्ग की व्यवस्था केवल अन्तरकालीन है और यह दस वर्ष के उपरांत समाप्त हो जायेगी। इसलिये सभा की अनुमति से मैं इसे नियमित रूप में पेश करता हूं कि स्वीकृत परिशिष्ट की भूमिका के रूप में मैंने जिन वाक्यों का प्रस्ताव किया है उनको रखा जाये।

***श्री एस.एम. रिजवानुल्ला** (संयुक्त प्रांत: मुस्लिम): श्रीमान्, मेरे विचार से श्री मुंशी ने जो पहली बात कही है वह व्यवस्थासंगत नहीं है। साधारणतया इस प्रणाली का अनुसरण किया जाता है कि किसी भी कमेटी की रिपोर्ट पर यह सभा विचार करती है और फिर यह सभा उसे संशोधित करके अपनी ही रिपोर्ट के रूप में स्वीकार कर लेती है। इसके बाद वह मसविदा तैयार करने वाली कमेटी के पास भेजी जाती है। इसलिये श्री मुंशी का यह मत कि इस रिपोर्ट को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त

प्रोफेसर राधाकृष्णन् ने भी जो कुछ कहा वह व्यवस्थासंगत नहीं है। अपने वाक्यों को स्थान देकर वे एक नया लक्ष्य रखना चाहते हैं। इसके लिये उचित अवसर उस समय था जबकि लक्ष्य सम्बंधी प्रस्ताव पर विचार हो रहा था। वे एक नई ही बात को स्थान देना चाहते हैं, इसलिये वह व्यवस्थासंगत नहीं है।

***श्री शंकर दत्तात्रेय देव** (बम्बई: जनरल): श्रीमान्, हम यह नहीं जानते कि वास्तव में किस विषय पर विचार हो रहा है।

***अध्यक्ष:** दो प्रश्न विचारार्थ पेश किये गये हैं। पहला प्रश्न श्री मुन्शी ने उठाया है। वह यह है कि चूंकि अब हमने परिशिष्ट की मदों को स्वीकार कर लिया है, इसलिये हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ कहें और सभा को इसकी स्वतन्त्रता नहीं है कि वह उस कमेटी के सदस्यों से ऐसी बातें कहलाये जो पहले से उनकी रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं हैं। यह व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाया गया है कि हमें रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ न कहना चाहिये, क्योंकि हमें यह सब कहने का अधिकार नहीं है। हमारा जो कुछ भी मत है उसे इन निर्णयों को करते समय हमने प्रकट कर दिया है।

***श्री शंकर दत्तात्रेय देव:** क्या इस सम्बन्ध में आपने अपना निर्णय सुना दिया है?

***अध्यक्ष:** मैं स्थिति का स्पष्टीकरण कर रहा हूं।

***श्री के. सन्तानम्:** श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल उन बातों को दर्ज किया जाना चाहिये जो मसविदे में स्थान पायेंगी और इसलिये मैं श्री मुन्शी के मत का समर्थन करता हूं। जहां तक डा. राधाकृष्णन् के मत का सम्बन्ध है, उन्होंने निस्सन्देह एक सुन्दर प्रस्ताव उपस्थित किया है, परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि यह मसविदे में किस प्रकार स्थान पायेगा। अनुरोध के रूप में वह ठीक ही है परन्तु मेरे विचार से वह कानून के मसविदे में स्थान नहीं पा सकता। मैं समझता हूं कि वह बहुत कुछ अप्रासंगिक है।

***श्री आर.वी. धुलेकर** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): श्रीमान्, यह सारी रिपोर्ट हमारे सामने है और मेरी राय में इस समय आचार्य राधाकृष्णन का यह प्रस्ताव करना व्यवस्थासंगत ही है कि इस सारी रिपोर्ट का उद्देश्य यह है कि सभी प्रकार के संरक्षणों को समाप्त कर दिया जाये और दस वर्ष के अन्दर सभी विध्वंसात्मक

[श्री आर.वी. धुलेकर]

शक्तियों को भी समाप्त कर दिया जाये ताकि दस वर्ष के बाद हमारा राष्ट्र सुव्यवस्थित हो सके। मेरे विचार से आचार्य राधाकृष्णन् के प्रस्ताव को इसी स्थान में रखा जा सकता है। यह व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति न्यायसंगत नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव किसी अन्य स्थान में नहीं रखा जा सकता। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से हमने व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति पर बहुत काफी वाद-विवाद कर लिया है और अब मुझे अपना निर्णय सुनाने की आज्ञा दी जाये। मैं इस विचार से सहमत होने के लिये तैयार हूं कि जहां तक इस सभा का सम्बंध है, वह इस समय कुछ मदों में कुछ खण्डों को सम्मिलित करने के बारे में मसविदा तैयार करने वाली कमेटी को केवल आदेश दे रही है और यह उस कमेटी पर निर्भर है कि वह इस सभा द्वारा स्वीकृत परिशिष्ट के आदेशों को स्वीकार करे। इसलिये इस समय कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है और यह काम मसविदा तैयार करने वाली कमेटी को सौंपा गया है कि वह परिशिष्ट में दिये हुये सभा के निर्णयों को मसविदे में सम्मिलित करे।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** श्रीमान्, सभा के सूचनार्थ मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक सलाहकार समिति के काम का सम्बन्ध है, उसने ये बातें छोड़ दी हैं– वह भाग जिसका सम्बन्ध पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल से है और दूसरे कबाइली और पृथक क्षेत्रों की कमेटी की रिपोर्ट जो कि अब सलाहकार समिति को मिल गई है परन्तु उस पर विचार करने में उसे कुछ समय लगेगा। तीसरी बात यह है कि जब हम पिछली बार विधान-परिषद् में सम्मिलित हुये थे तो हमने कुछ मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया था परन्तु उनसे सम्बन्धित रिपोर्ट का शेष भाग अभी पेश होना है। इन प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा और समिति की अन्तिम रिपोर्ट सभा के सामने अगली बैठक में पेश की जायेगी। इस समय जो रिपोर्ट सलाहकार समिति ने पेश की थी उस पर विचार किया जा चुका है। मैं सभा को उसके सहयोग के लिये और इस रिपोर्ट को निश्चित समय में समाप्त कर देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

***अध्यक्ष:** मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में क्या किया जाये? क्या हम उनको इस समय उठायें?

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** यदि सभा उन्हें इस समय उठाना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

***अध्यक्षः** चूंकि अब समय नहीं रह गया है, हम अपने साधारण कार्य को कल दस बजे हाथ में लेंगे, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि हम आज दोपहर के बाद थोड़े समय के लिये एक विशेष कार्य के लिये सम्मिलित हो रहे हैं। हमें इस सभा को प्रदान किये हुये महात्मा गांधी के चित्र का उद्घाटन करना है। इसलिये मेरा प्रस्ताव यह है कि उसके लिये हम तीन बजे सम्मिलित हों।

इसके उपरान्त परिषद् दोपहर के भोजन के लिये तीन बजे तक स्थगित रही।

भारतीय विधान-परिषद् की दूसरी बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दोपहर के भोजन के बाद दिन के तीन बजे माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

महात्मा गांधी के चित्र की भेंट और उसका उद्घाटन

***अध्यक्षः** श्री पट्टानी!

***श्री ए.पी. पट्टानी** (पश्चिमी भारत की रियासतों का समूह–4): यह मेरा सौभाग्य है कि मैं सभा के सामने निम्नलिखित प्रस्ताव रख रहा हूं:

''यह निश्चय किया जाता है कि भारतीय विधान-परिषद् सर प्रभाशंकर पट्टानी के राष्ट्र को प्रदान किये हुये सर ओसवाल्ड बर्ले द्वारा चित्रित महात्मा गांधी के चित्र को स्वीकार करती है।''

मेरे देश की इस विधान-परिषद् में खड़े होकर अपने स्वर्गीय पिता जी की मनोकामना के अनुसार अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हुये मैं आज जिस प्रसन्नता का अनुभाव कर रहा हूं उसे शब्दों में प्रकट करना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

यह चित्र, जिसका थोड़ी देर में उद्घाटन होगा, दूसरी गोलमेज सभा के समय इंग्लैंड में प्रसिद्ध चित्र-कलाकार सर ओसवाल्ड बर्ले ने चित्रित किया था और मेरे पिता जी ने उसे खरीद लिया था। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि सर ओसवाल्ड ने यह चित्र अपने ही लिये चित्रित किया था और वे उसे इसलिये देने के लिये तैयार हुये क्योंकि मेरे पिता जी उसे लेना चाहते थे और वह हिन्दुस्तान

[श्री ए.पी. पट्टानी]

के लिये लिया जा रहा था। परन्तु जब वह हिन्दुस्तान पहुंचा तो उसे सावधानी से उसी प्रकार बन्द करके रख दिया गया, जैसे वह आया था। हमें उसे देखने की आज्ञा नहीं दी गई और न हमारे परिवार के लोग और न इंग्लैण्ड के मित्र उनसे यह मालूम कर सके कि उस चित्र के बारे में उनका क्या इरादा था। लेकिन सन् 1935 ई. के कानून के बनने के कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे बहुत ही गुप्त रूप से कहा कि जब इस कानून के अधीन नई सरकार की स्थापना होगी, तो मेरा विचार है कि मैं इसे राष्ट्र को भेंट कर दूंगा। बहुत समय बीत गया और उस कानून के प्रयोग में आने की कोई आशा न रही। 16 फरवरी, सन् 1938 के दिन इसके ठीक दस मिनट पहले कि वे भावनगर से हवाई जहाज से हरीपुरा महात्मा जी से मिलने जाते, उनका स्वर्गवास हो गया। वह कार्यक्रम और वह भेंट परिस्थितिवश सम्पूर्ण न हो सकी। परन्तु अपनी मृत्यु के पहले उन्होंने तीन बार मुझसे इस चित्र को और इसके सम्बन्ध में अपने विचार को ध्यान में रखने को कहा।

श्रीमान्, जैसा कि मैं कह चुका हूं, सन् 1935 ई. का कानून प्रयोग में न आ सका। परन्तु जब सन् 1947 ई. के कानून के अधीन नई सरकार स्थापित होने को हुई, तो मैंने अपने प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से इस चित्र के बारे में और इसके सम्बन्ध में अपने पिता के सन्देश का जिक्र किया। श्रीमान्, संक्षेप में इस अवसर का पूर्व इतिहास यही है।

इस अवसर पर मैं कुछ शब्द महात्मा जी के बारे में कहना चाहूंगा। मैं अत्यंत आदरभाव तथा दैन्यभाव से इन शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि महात्मा जी के सम्बन्ध में मैं जो कुछ भी कहूंगा वह कैलाश पर्वत को मापदण्ड से नापने के समान है या जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हिमालय पर्वत के सौन्दर्य व उसी विशालता को लेखनी से वर्णन करने के समान है। परन्तु फिर भी मुझको तथा इस सभा के कुछ अन्य सदस्यों को इसका गर्व है कि हम काठियावाड़ प्रदेश के निवासी हैं। वह भूमि जिसने श्रीकृष्ण, सुदामा, नरसी मेहता, दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को उत्पन्न किया है, यदि हमें इसका गर्व है तो हमें उनका अनुसरण भी करना चाहिये, विशेषतया महात्मा गांधी का जिन्हें हमने देखा है और जिनके साथ हम रहे हैं, क्योंकि वे हमेशा नरेशों तथा जनसाधारण के मित्र रहे हैं और अब भी उनके मित्र हैं। वास्तव में उनकी अपनी कोई जाति नहीं है। उनका कोई देश नहीं है। उनका कोई घर

नहीं है। सारा संसार ही उनका घर है और मनुष्यमात्र ही उनका परिवार है। सत्य की खोज और परमार्थ-सिद्धि में उन्होंने सभी भेदभाव मिटा दिये और उन सभी से प्रेम करने लगे जो सच्चे, दृढ़निष्ठ और ईश्वर-प्रेमी हैं। उनकी इस उन्नत आत्मा को देखकर ही मेरे पिता जी उनकी ओर आकर्षित हुये और उनके विनीत अनुयायी हो गये। बापू ने मुझसे स्वयं कहा है कि उनका सम्बन्ध उस समय जुड़ा जब, मेरे विचार से पिछली शताब्दी में, वे दक्षिणी अफ्रीका में थे और मेरे पिता जी ने उनको पहला पत्र लिखा था। महात्मा जी ने इस महान् सत्य को खोज निकाला कि आधुनिक जीवन तथा वास्तव में संसार के इतिहास में भारत में व इंग्लैंड में सभी आपदाओं का मुख्य कारण यह रहा है कि इस देश में विदेशी शासन का बोलबाला रहा है। इस वास्तविक समस्या को खोज निकालने के बाद वे इसे हल करने के कार्य में जुट गये और अहिंसात्मक विद्रोह द्वारा उन्होंने भारत को स्वतंत्र कर दिया। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इस कार्यसम्पन्नता को फलीभूत करें, ताकि जिस सुफल को उन्होंने हमको भेंट किया है, वह हममें से प्रत्येक व्यक्ति को हृष्टपुष्ट करे और हमें उच्चतर जीवन बिताने के लिये समर्थ करे।

राष्ट्र को समर्पित किया जाये; उनके शब्दों में:

''यह उस संत का चित्र है जिसने शांति के अर्थ अद्वितीय परिश्रम किया और अहिंसा को उपदेश दिया, जिससे ही वास्तव में अन्त में मनुष्य का कल्याण हो सकता है।'' *(हर्षध्वनि)*

श्रीमान्, मुझे यही सन्देश देना है। (जहां चित्र लगाया गया था उस ओर संकेत करते हुये) चित्र वह है। मैंने अपने कर्त्तव्य का पालन कर दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि चित्र का उद्घाटन किया जाये (*हर्षध्वनि*)।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने चित्र का उद्घाटन किया।

***अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास है कि श्री पट्टानी ने इस सभा को जो उपहार दिया है उसके लिये उनके प्रति मैं इस सभा के सभी सदस्यों की कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं (*हर्षध्वनि*)। स्वर्गीय सर प्रभाशंकर पट्टानी ने एक सुखद भावना से प्रेरित होकर ही इस सुन्दर चित्र को इतने वर्षों तक इस उद्देश्य से सुरक्षित रखा कि वह भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की शुभ घड़ी में राष्ट्र को भेंट की जाये और यह हमारे लिये एक सुअवसर है कि अपने जीवनकाल में हम इस घड़ी में इस चित्र का उद्घाटन देख रहे हैं। कम से कम मेरे लिये

[अध्यक्ष]

यह धृष्टता ही होगी कि मैं महात्माजी ने जो कार्य सम्पन्न किया है, उसके सम्बन्ध में कुछ कहूं; क्योंकि मैं भी उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिन्हें उनके अधीन कई वर्षों तक सेवाकार्य में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है (*हर्षध्वनि*)। वह हमारे बीच ऐसे समय में आये जब कि देश बड़ी कठिनाई में पड़ा हुआ था और उससे छुटकारा पाने के लिये सहायता का इच्छुक था। कई प्रयत्नों के विफल होने पर हम लोग बहुत खिन्न थे। देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये बहुत प्रयत्न किये थे और वह किसी ऐसी चीज की खोज में था जिससे उसे प्रेरणा प्राप्त हो और सबसे अधिक किसी ऐसे शस्त्र की खोज में था जिससे वह स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता। महात्मा गांधी ने वह भावना जाग्रत की और लोगों के हाथों में वह शस्त्र दिया। यद्यपि हम उनकी आकांक्षाओं को सम्पूर्ण करने में समर्थ नहीं हुये हैं, परन्तु उनकी प्रेरणा से तथा उनके पथ-प्रदर्शन से हम कम से कम इस स्वतंत्रता को तो प्राप्त कर ही चुके हैं जिसकी हम कई वर्षों से आशा लगाये बैठे थे।

राजनीति ही नहीं बल्कि मानव-जीवन का कोई भी ऐसा अंग न होगा, जिसे महात्मा गांधी ने अपने स्पर्श से उज्जवल न किया हो (*हर्षध्वनि*)। चाहे हम किसी गांव की बस्ती में जायें या शहर की बस्ती में, चाहे हम किसी करोड़पति के प्रासाद में जायें या महाराजा के महल में जायें; शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां उनका प्रभाव पर्याप्त रूप से न पड़ा हो। हमारे जीवन में भी उनका इतना प्रभाव पड़ा है कि हम उसका पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। महात्मा जी की महानता इसमें है कि जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा उन्होंने हमारे जीवन में और संसार के इतिहास में जो प्रभाव डाला है उसका अधिक अनुभव होने लगेगा। ऐसे पुरुषों का जन्म हमेशा साधारण रूप से नहीं होता। संसार के इतिहास में उसकी धारा बदलने के लिये ही वे कभी एक बार आते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें महात्मा गांधी के अधीन सेवा-कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने मानव-इतिहास की धारा को बदल दिया है और अपने जीवनकाल में ही अपने आरम्भ किये हुये कार्य को सम्पन्न होते हुये देख सके हैं और यह देख रहे हैं कि उससे दिन प्रतिदिन बहुमूल्य लाभ हो रहा है। उन्होंने हमारे जीवन को इतने प्रकार से चमत्कारपूर्ण बना दिया है कि इस संक्षिप्त भाषण में उसे वर्णन करना सम्भव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि किसी प्रकार उन्होंने मिट्टी के पुतलों को वीरों में परिणत किया और साधारण व्यक्तित्व के पुरुषों में महान् कार्यक्षमता, महान् संस्कृति और महान् प्रयत्नशीलता का प्रादुर्भाव किया। उन्होंने इतना

ही नहीं किया बल्कि व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त सारे राष्ट्र में स्वतंत्रता की भावना का जागरण किया और वास्तव में एक प्रकार से उन्हीं के कार्य से वह प्रतिफलित भी हो गई। उन्हीं के प्रति आज अपनी श्रद्धांजलि देने के लिये हम लोग सम्मिलित हुये हैं। यह चित्र जो कि हमें उपहार रूप से दिया गया है, इस सभा में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को इसकी याद दिलाता रहेगा कि उन्होंने हमारे देश के व संसार के इतिहास में एक संकटापन्न तथा महत्वपूर्ण काल में कितना महान् कार्य किया। वह सदस्यों को इसका भी स्मरण करायेगा कि इस देश के प्रति उनको किस महान् कर्तव्य का पालन करना है। यह हम सबको इस महान् परम्परा का स्मरण करायेगा जिसके कि वे प्रतिनिधि हैं और जो हम सभी को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। और सबसे अधिक यह हमको इसका स्मरण करायेगा कि जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है उसका मनुष्यमात्र के हितार्थ किस प्रकार उपयोग किया जाये। हम यह आशा करते हैं कि इस चित्र से इस उद्देश्य की पूर्ति होगी और हम उस महान् महात्मा के सच्चे अनुयायी होंगे; जिन्होंने हमें इस लक्ष्य तक पहुंचाया है (*तुमुल हर्षध्वनि*)।

सभा की ओर से मैं इस चित्र को रस्मी तौर पर स्वीकार करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इससे सहमत हैं।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रान्त और बरार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, क्या मैं विनयपूर्वक यह सुझाव रख सकता हूं कि यह बहुत ही उपयुक्त होगा कि इस सभा-भवन में भारतीय संग्राम के जन्मदाता महात्मा गांधी के इस उत्कृष्ट चित्र के साथ भारतीय विद्रोह के जन्मदाता लोकमान्य बालगंगाधर तिलक तथा भारतीय क्रान्ति के जन्मदाता नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र भी सुशोभित किये जायें। यह श्रीमान्, बहुत ही उपयुक्त होगा और ये तीन चित्र हमारे राजनैतिक स्वतंत्रता की तीन स्पष्ट अवस्थाओं के श्रोतक होंगे। श्रीमान्, मुझे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि यह सभा इन चित्रों को बड़े हर्ष और कृतज्ञता से स्वीकार करेगी। क्या श्रीमान्, आप कृपा करके इसकी आज्ञा देंगे कि ये चित्र बाद को किसी अवसर पर भेंट किये जायें?

***अध्यक्ष:** सभा अब कल सुबह दस बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके उपरान्त परिषद् शुक्रवार, 29 अगस्त, सन् 1947 ई. के दिन के दस बजे सुबह तक के लिये स्थगित रही।

परिशिष्ट

भारतीय विधान-परिषद्

प्रेषक:

श्री जी.वी. मावलंकर,

सभापति, भारतीय स्वतंत्रता के कानून के अधीन नियुक्त विधान-परिषद् की कार्य-सम्बन्धी समिति।

सेवा में:

अध्यक्ष, भारतीय विधान-परिषद्।

श्रीमान्,

विधान-परिषद् के आगे के कार्य के सम्बन्ध में कुछ मामलों पर विचार करने और उस बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिये आपने 21 अगस्त सन् 1947 ई. को जो कमेटी नियुक्त की थी उसके सदस्यों की ओर से मैं यह रिपोर्ट पेश करता हूं:

1—प्रारम्भ

2. शुक्रवार 22 तारीख को अपनी पहली बैठक में मैं सभापति निर्वाचित हुआ। 23 और 25 तारीखों को भी कमेटी की बैठकें हुई।

3. हमने निम्नलिखित विषयों पर विचार किया:

(1) भारतीय स्वतंत्रता के कानून के अधीन विधान-परिषद् का वास्तविक कार्य क्या है?

(2) क्या यह सम्भव है कि विधान-परिषद् के विधान-निर्माता के कार्य और अन्य प्रकार के कार्य में भेद किया जाये और क्या विधान परिषद् पूर्वोक्त कार्य के लिये कुछ दिन या कुछ समय अलग रख सकती है?

(3) क्या विधान-परिषद् में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों को विधान-निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य में भाग लेने का अधिकार

देना चाहिये या केवल उन विषयों के सम्बन्ध में जिन्हें उन्होंने केन्द्र को समर्पित कर दिया है?

(4) विधान-परिषद् या उसके अध्यक्ष को यदि कोई नये नियम या स्थायी आज्ञाएं निर्धारित करनी हों तो कौन-सी निर्धारित करनी चाहियें और वर्तमान नियमों और स्थायी आज्ञायों में यदि कोई संशोधन करने हों तो कौन-से करने चाहियें?

हम इसी क्रम से इन विषयों पर अपना मत प्रकट करते हैं।

2—पहला विषय

4. विधान-परिषद् का कार्य दो प्रकार का है:

(क) 9 दिसम्बर सन् 1946 ई. को जो विधान-निर्माण का कार्य आरम्भ हुआ था, उसे जारी रखना और उसे समाप्त करना।

(ख) नये विधान के अधीन व्यवस्थापिका सभा का निर्माण होने तक औपनिवेशिक व्यवस्थापिका सभा के रूप में कार्य करना।

3—दूसरा विषय

5. विधान-परिषद् का काम इसकी दोनों हैसियतों में ठीक-ठीक चले, इसके लिये यह सिर्फ सम्भव ही नहीं, बल्कि आवश्यक है कि इसके विधान-निर्माण तथा व्यवस्था सम्बन्धी कामों में साफ-साफ भेद कर दिया जाये। हमारी राय में भिन्न-भिन्न दिन या एक ही दिन भिन्न-भिन्न समय दोनों कामों के लिये निर्धारित कर दिया जायो करे, जिससे कि कोई उलझन और पेचीदगी न पैदा हो।

4—तीसरा विषय

6. हम सब इस बात से सहमत हैं कि, जैसा कि इस विषय की शब्दावली से सूचित होता है, भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले परिषद् के सदस्यों को उन सभी दिनों में असेम्बली की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, जो विधान-निर्माण सम्बन्धी काम के लिये निर्धारित किये गये हों। इसके अलावा व्यवस्था सम्बन्धी काम के लिये जो दिन निर्धारित किये गये हों उन दिनों पर भी, उन विषयों के बारे में जिनके सम्बन्ध में रियासतें संघ में शामिल हुई हों,

असेम्बली की कार्रवाई में भाग लेने का उन्हें अधिकार है। यद्यपि विधान-परिषद् को यह हक है कि उन विषयों के बारे में, जिनके सम्बन्ध में रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई हैं, वह उन्हें कार्रवाई में भाग न लेने दे या कोई प्रतिबंध लगा दे, पर हम सिफारिश करेंगे कि ऐसी कार्रवाई में भाग लेने पर नियम द्वारा कोई रोक या प्रतिबंध न लगाया जाये।

5—चौथा विषय

7. जहां तक विधान-निर्माण का सम्बन्ध है, विधान-परिषद् एवं इसके अध्यक्ष द्वारा बनाये हुये वर्तमान विधि सम्बन्धी नियम और स्थायी आज्ञाएं काफी हैं और समय-समय पर उनमें ऐसे ही संशोधनों की जरूरत पड़ेगी जो कि अनुभव के आधार पर आवश्यक समझे जायें। जहां तक विधान परिषद् के औपनिवेशिक व्यवस्थापिका की हैसियत से काम करने का सवाल है, 'भारतीय स्वतंत्रता (क) कानून 1947' की धारा 8 (2) के अनुसार, साधारणतः आवश्यक परिवर्तनों के साथ ग्रहीत ''भारत सरकार के कानून'' के प्रासंगिक आदेश तथा भारतीय व्यवस्थापिका के नियम और स्थायी आज्ञाओं के अनुसार ही चलना होगा। किन्तु उन विषयों के सम्बन्ध में, जो परिषद् द्वारा किये जाने वाले दोनों तरह के कार्यों में समान रूप से आते हों, इन नियमों और स्थायी आज्ञाओं में संशोधन करना पड़ेगा और आवश्यक परिवर्तनों के साथ इन्हें ग्रहण करना होगा। हमारे हाथ में जो समय था उसके अन्दर उन नियमों और स्थायी आज्ञाओं की विस्तारपूर्वक छान बीन करने का प्रयत्न हम न कर पाये, जिससे कि आवश्यक संशोधनों और परिवर्तनों के सम्बन्ध में सुझाव दे पाते। इस सम्बन्ध में हम यह सुझाव देंगे कि अध्यक्ष की आज्ञानुसार इनमें संशोधन किया जाये और आवश्यक परिवर्तनों के साथ इन्हें स्वीकार किया जाये।

8. हम तीन महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख करना चाहते हैं, जो उस प्रमुख प्रश्न से जिस पर विचार करने का भार हमें सुपुर्द किया गया है, सम्बंध रखने के अतिरिक्त, विधान-परिषद् या इसके अध्यक्ष द्वारा नये नियम या स्थायी आज्ञाओं के बनाये जाने और वर्तमान नियमों और स्थायी आज्ञाओं में संशोधन किये जाने के प्रश्न से भी सम्बंध रखते हैं।

9. भारत सरकार के कानून 1935 की धारा 22 की सभापति के निर्वाचन से सम्बंध रखने वाली व्यवस्थाओं को छोड़ दिया गया है। इस कानून में किये गये परिवर्तनों को इसके साथ मिलाकर पढ़ने से साफ है कि जब परिषद्

औपनिवेशिक व्यवस्थापिका की हैसियत से काम करती हो, उस समय भी उसका सभापतित्व वही व्यक्ति कर सकता है जो विधान-परिषद् का अध्यक्ष है, जब तक कि विधान-परिषद् के विधि सम्बन्धी नियमों में ही एक ऐसे अधिकारी के निर्वाचन की व्यवस्था न कर दी जाये, जो इसका उस समय सभापतित्व करे जबकि यह व्यवस्था सम्बंधी काम करती हो। यह स्मरण रखना होगा कि यद्यपि विधान-परिषद् दो तरह के काम करती है, फिर भी यह एक ही है और इसका एक ही अध्यक्ष हो सकता है, जो इसके विचार कार्य-सम्बंधी तथा शासन-प्रबंध सम्बंधी दोनों ही कार्यों का सर्वेसर्वा है। फिर भी हम इस बात की ओर निर्देश करेंगे कि वैधानिक दृष्टि से यह अनुपयुक्त होगा कि वह व्यक्ति जो विधान-परिषद् का उस समय सभापतित्व करता हो, जब कि वह हैसियत औपनिवेशिक व्यवस्थापिका के समवेत हो, वह औपनिवेशिक सरकार का मंत्री भी हो। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है कि इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारा सुझाव है कि इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित दो विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

(क) विधान-परिषद् का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसका सारा समय परिषद् के कार्यों में लगे, चाहे परिषद् विधान-निर्माण सम्बंधी कार्य करती हो या बहैसियत औपनिवेशिक व्यवस्थापिका के काम करती हो।

(ख) अगर विधान-परिषद् का अध्यक्ष मंत्री है, तो विधान-परिषद् के नियमों में एक पदाधिकारी के निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि परिषद् का उस समय सभापतित्व करे, जबकि वह बहैसियत औपनिवेशिक व्यवस्थापिका के काम करे।

10. आवश्यक परिवर्तनों के साथ ग्रहीत भारत सरकार के कानून के अनुसार औपनिवेशिक व्यवस्थापिका के बुलाने और या स्थगित करने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त है। हम समझते हैं कि उन अधिकारों के अनुसार जो न्यायतः विधान-परिषद् के हैं, तथा इसके द्वारा बनाये नियमों के अनुसार एवं इस दृष्टि से कि परिषद् के दोनों कार्यों में समुचित समन्वय रहे, परिषद् को बहैसियत व्यवस्थापिका के बुलाने का और स्थगित करने का अधिकार भी अध्यक्ष को ही होना चाहिये। इस उद्देश्य के लिये विधान-परिषद् के विधि सम्बन्धी नियमों में एक

नियम जोड़ा जाना चाहिये और भारत सरकार के कानून की तत्सम्बन्धी धारा को आवश्यक परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लेना चाहिये, ताकि इसे नवीन नियम के अनुरूप किया जा सके।

11. वर्तमान में औपनिवेशिक सरकार के पांच मंत्री ऐसे हैं, जो विधान-परिषद् के सदस्य नहीं हैं। इन मंत्रियों को विधान-परिषद् की कार्रवाई में जबकि वह बहैसियत व्यवस्थापिका के समवेत हो, भाग लेने का अधिकार है; यद्यपि उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। किन्तु इन सदस्यों को विधान-परिषद् की कार्रवाई में, जब कि वह विधान-निर्माण सम्बन्धी कार्य के लिये समवेत हो तो भाग लेने का अधिकार नहीं है। फिर भी हमारी सिफारिश है कि विधान परिषद के नियमों में उपयुक्त परिवर्तन करके इन सदस्यों को विधान-परिषद की विधान निर्माण संबंधी कार्रवाई में उपस्थित रहने और भाग लेने का अधिकार दिया जाये; यद्यपि उनको वहां तब तक मत देने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि विधान-परिषद् के वे सदस्य न बन जायें।

आपका

जी.वी. मावलंकर

चेयरमैन

नई दिल्ली;

25 अगस्त, 1947 ई.